खण्ड-459, अंक-6
गुरुवार, 28 वैशाख, शक संवत् 1928
(18 मई, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2006)

खण्ड 459 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
नियम 301 की सूचनाओं से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास ...	1
स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में छात्रसंघ के अभाव में छात्रों को मिलने वाली स्कालरशिप का धन मैनेजमेंट एवं प्रधानाचार्य द्वारा लिये जाने सम्बन्धी दिनांक 16 मई, 2006 को उठाई गई सूचना के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय...	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ... (स्वीकृत) ...	1-23
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया)	23
नियम-301 की एक सूचना का उत्तर 5 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अप्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	23-24
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006 के विचार एवं पारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	24-25
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)..	26-27
फिरोजाबाद में विधायक निधि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	27
मुजफ्फरनगर पुलिस के विरुद्ध कुंवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना को लिये जाने की मांग	27
इलाहाबाद स्थित आर0 पी0 रस्तोगी इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	27-29
जनपद बुलन्दशहर के थाना अगौता में डकैतों द्वारा फौजी जसवीर सिंह के घर पर डकैती डालने एवं उनकी हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुंशीलाल गौतम द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	29
प्रदेश में भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	29
विधान सभा के तृतीय सत्र 2005 के पहले बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2005 को डा0 अजय कुमार द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-42 के उत्तर के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-166(2) के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर कृत कार्यवाही की सूचना	29-30

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2006 को नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन ...	30
प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन ...	30
विधायक के भांजे की मृत्यु के सम्बन्ध में श्री रिजवान अहमद खां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	30
जनपद प्रतापगढ़ की सदर तहसील के व्यापारी के मकान पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	31-32
जनपद आजमगढ़ में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	32
मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ में भूख से हुई मौतों के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	33
जनपद बागपत के छपरौली में आये भीषण चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	33
गोरखपुर दीवानी कचहरी में अधिवक्ता भवन के ढह जाने से मजदूरों की हुई मौत के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	33
जनपद कन्नौज में दलितों पर हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	34
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित विकास खण्डों के ग्रामों से संक्रमित पेयजल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	34
जनपद बलिया के सुरैमनपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भरत सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	34

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद भदोही स्थित ज्ञानपुर तथा औराई अग्निशमन केन्द्रों पर गाड़ी व कर्मचारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	34
जनपद चित्रकूट के थाना मऊ में श्री बच्ची लाल प्रधान के साथ मार-पीट करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	34-35
शाहजहांपुर के पुवांया चीनी मिल द्वारा कर्मचारियों को विगत तीन वर्षों से बकाये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	35-36
कानपुर नगर स्थित श्री रमाकान्त त्रिपाठी, अवर अभियन्ता की हत्या से सम्बन्धित हत्यारों का पर्दाफाश न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	36-37
मेरठ नगर निगम में नियमित नगरायुक्त एवं विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष का पद स्थापित न होने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	37
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर विधान सभा क्षेत्र में पल्स पोलियो दिवस पर प्रशासनिक अधिकारियों के उपस्थित न होने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री के अद्यावधिक वक्तव्य का स्थगन	38
जनपद सन्तकबीर नगर के तहसील धनघटा के ग्राम-सुवखरी स्थित कालिका प्रसाद महर्षि विद्या मंदिर के भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से स्वीकृत धनराशि के बाद भी निर्माण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	38
मेरठ महानगर के पेयजल संकट को देखते हुये सिंचाई विभाग से 300+ क्यूसेक पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ...	38-39
गोरखपुर महानगर के चतुर्दिक विकास के लिये महायोजना की स्वीकृत न दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	39-40

विषय	पृष्ठ-संख्या
बांदा शहर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बाबू लाल कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	40-41
तत्कालीन मण्डी निदेशक द्वारा अनेकों कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	41-42
जनपद बरेली स्थित आंवला नगर पालिका में निर्मित ओवर हेड टैंक की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	42-43
जनपद मेरठ में संचालित बी0एड0/इंजीनियरिंग में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 यशवंत सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	43-44
जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर में किसानों को सूखा राहत का धन अभी तक उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	44
गाजियाबाद स्थित सिंभावली शुगर मिल द्वारा करोड़ों रुपये के राजस्व घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	44-45
सिंचाई विभाग के अन्तर्गत आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुणवीर सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	45-46
प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सोबरन सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ...	46
जनपद मिर्जापुर के ग्राम सिद्धधी धानापुर का विद्युतीकरण हेतु चयन के बाद भी विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 रमेश चन्द्र विन्द द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	46-47
जनपद सहारनपुर के सरसावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्म सिंह सैनी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	47

विषय				पृष्ठ-संख्या
हरदोई के थाना अतरौली के श्री सी0 एल0 दीक्षित एडवोकेट के प्रकरण की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 लखनऊ सेक्टर से हटा कर अन्य सेक्टर से कराये जाने के सम्बन्ध में सुन्दर लाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ...			...	47
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव ...(स्वीकृत)	...	...	...	47
राष्ट्र-गान	...	...	...	48

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 18 मई, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-301

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अमिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलका राय, श्रीमती	गाजीपुर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आलमबदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर

ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अज़ीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदीप जैन ''आदित्य', श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भरत सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफुलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
यकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर

अप्रैल 2018 तक

शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज	सियाराम सागर, डा0	बरेली
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर	सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी	सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज	सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर	सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
संजीव बरियाबादी, श्री	कानपुर नगर	सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	सोयरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
समरपाल सिंह, श्री	बागपत	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सर्वेश कुमार उर्फ		हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राकेश कुमार, कु0	मुरादाबाद	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-301 की सूचनाओं से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी कोई बात उठी नहीं है, आप बाद में कहियेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 301 के सम्बन्ध में मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी यह विषय नहीं है, जीरो आवर जब आयेगा तब कहियेगा उसका समाधान करा देंगे, अभी दूसरा विषय ले लें।

स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में छात्रसंघ के अभाव में छात्रों को मिलने वाली स्कालरशिप का धन मैनेजमेन्ट एवं प्रधानाचार्य द्वारा लिये जाने सम्बन्धी दिनांक 16 मई, 2006 को उठाई गई सूचना के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

परसों जो मामला राम इकबाल सिंह जी ने और जियाउद्दीन रिजवी साहब ने उठाया था सी0बी0सी0आई0डी0 जांच का बलिया के मामले में, माननीय मुख्य मंत्री जी मेरा यह आग्रह है कि सी0बी0सी0आई0डी0 के अतिरिक्त और किसी दूसरी उपयुक्त एजेन्सी से इन तथ्यों की जांच करवा लें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, आपका निर्देश स्वीकार है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

श्री अध्यक्ष-

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर दें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको और सभी नेताओं को धन्यवाद, जो हमारी सुविधा के अनुसार 11.00 बजे ही श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया और सहयोग दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि मा0 नेता विरोधी दल ने यह कहा कि मा0 राज्यपाल जी ने दबाव में भाषण दिया और चले भी गये। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मा0 नेता विरोधी दल बहुत परम्पराओं का पालन करते हैं। मा0 राज्यपाल महोदय ने कभी भी दबाव में भाषण नहीं दिया है। मान्यवर, सारा देश है और सारी जनता है, वह बहरी नहीं है, अंधी नहीं है, गूंगी नहीं है। देश की जनता के कान भी हैं, आंख भी है और जीभ भी है। वह देख भी रही है आपकी सब कार्यवाही को कि महामहिम राज्यपाल जी के भाषण में बाधा किसने

---

† दिनांक 16 मई, 2006 की कार्यवाही से।

डाली और फिर भी महामहिम राज्यपाल जी ने अपना भाषण पढ़ा और भाषण पढ़ कर चले गये। अब बताइये कि दबाव में क्यों ऐसा किया आपने ? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल जी, कभी भी सरकार के दबाव में राज्यपाल महोदय ने भाषण नहीं दिया और जो परम्परागत होता रहा है, वह किया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि झांसी में डकैतों की भर्ती हुयी है क्या ऐसी आप उम्मीद करते हो ? मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार होगी, कभी डकैतों की उसने पुलिस में भर्ती नहीं की है। इस सरकार का सवाल नहीं उठता है। यह सरकार आज डकैतों का सफाया कर रही है और हमने कर के दिखा दिया है। आप समाचार-पत्र में पढ़ते हो, कोई मजाक में कुछ कह देता है कि ऐसा किया जा रहा है, अपहरण बहुत हो रहे हैं तो आपको यह विचार करना चाहिये कि यह डकैत किसके समय के हैं ? 2 जून, 1995 के पहले के कितने हैं और उसके बाद के कितने हैं ? इसलिये डकैतों से जूझ रहे हैं। अभी 4 दिन पहले क्या हुआ है ? 4 दिन पहले कितने बड़े कुख्यात डकैत से इटावा की पुलिस लड़ी है। वह अलग है कि उस समय पर दूसरे प्रदेश की पुलिस का सहयोग नहीं मिल पाया फिर भी डकैतों को मौके पर हमारी बहादुर पुलिस ने मार गिराया, 5 डकैतों को लेकिन वह कुख्यात डकैत किसी तरह बच गया। इस सम्बन्ध में हमने बात की है संबंधित प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी से। वह आपकी सरकार के मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, संतोषजनक उत्तर दिया और पूरा सहयोग करने का वादा भी किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। एक तरफ तो भिन्ड, जालौन और इटावा तीन के बीच में हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डकैत इस वक्त किस जमीन पर रहते हैं ? इतना मैं कहना चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी चली जाय, डकैत उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं रहने पा रहे हैं। डकैत दूसरे सूबों में छुप जाते हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि वह सरकार संरक्षण दे रही है।

श्री प्रमोद कुमार-

दूसरे सूबे से आपका मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश की सीमा कई प्रदेशों से मिलती है। स्पष्ट करिये कि वहां किसकी सरकार है। टण्डन जी की अगर सरकार है तो माफ कर दीजिये। मध्य प्रदेश सरकार है या और कोई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप तो समझते हो।

श्री प्रमोद कुमार-

तब तो ठीक है इनके कोटे में कोई दखलन्दाजी नहीं करनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव-

डकैत आज उत्तर प्रदेश की जमीन को छोड़ कर भागे हुये हैं, बीच में आते हैं और घटना करके चले जाते हैं। तो ऐसे अवसर पर पुलिस का मनोबल नहीं गिराना चाहिये। पुलिस घायल भी हो रही है। पुलिस वाले शहीद भी हुये हैं। पुलिस डकैतों से लड़ रही है। पिछले 10-12 सालों से पुलिस ने ऐसी बहादुरी से काम नहीं किया है जितना अब कर रही है। आखिर यह काम पुलिस ने क्यों किया ? दूसरी बात आपने कही कि एक विधायक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, आपने कहा कि उनको संरक्षण दे रहे हैं। अगर उनको संरक्षण दिया होता तो वह जेल में क्यों होते ? मऊ के सवाल पर सबसे पहले उनको गिरफ्तार करके जेल क्यों भेजा होता ? वह तो जेल में हैं। संरक्षण

देने वाले हम तो नहीं हैं। लेकिन आप आरोप लगाते हैं। आपके अध्यक्ष महोदय हैं, वह तो उनके चाचा हैं, चाचा-भतीते के सम्बन्ध हैं और उन्होंने अकेले में जाके, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि उनसे क्या-क्या कहा, अपने भतीजे से। हमारी सरकार किसी अपराध करने वाले को संरक्षण नहीं देती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करती है। आपके यहां ऐसा उदाहरण नहीं है। जबसे हम सरकार में आये हैं, अगर हमारे दल के किसी साथी ने कोई कानून तोड़ा है तो उसको जेल भेजा गया है। यहां पर बैठे हैं हमारे साथी लोग, मैं बाहर था, फैजाबाद में था, हमारे साथी का दोष नहीं था यह मैं कह सकता हूं, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गयी तो हमारा सार्थी विधायक जेल चला गया। आप बतायें कि आपने किसी को भेजा अपनी पार्टी के आदमी को जेल में ? मैं सदन में कह सकता हूं कि क्या अफजाल अंसारी डकैत मारने में था या साजिश में था ? उनके ऊपर रिपोर्ट लिखाने पर वह जेल में हैं। क्या अतीक अहमद थे मौके पर ? लेकिन रिपोर्ट के आधार पर ही हमारा सांसद जेल गया। आप एक उदाहरण बता दें कि आपका सांसद और आपका विधायक जेल गया ? आपकी सरकार में अपराध करने पर उनको बचाया गया है।

हम निष्पक्षता से कानून का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। इसी तरह से आपने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस पर तो मैं धन्यवाद देता हूं, नेता कांग्रेस पार्टी ने जो कहा। आप ही कह सकते हैं। आपके समय में चाहे लाल-किला हो चाहे अक्षरधाम हो, पहलगांव हो, जहां पर, अमरनाथ के यात्रियों पर और संसद पर हमला किया गया। उस समय हमला किया गया था जिसमें आपको पता है कि हमको खोजा जा रहा था। यह सच है। जिस वक्त हम निकले थे नेताओं की बैठक के बाद, उस समय 150-200 सांसद होंगे। काफी लोग चले गये थे। उसी समय अमर सिंह जी भी निकले थे। उनका ड्राइवर किसी तरह से भागकर बच पाया था। अमर सिंह भी किसी तरह से अपने को बचाकर निकल सके थे। आतंकवादियों ने आपकी सरकार के समय हमला किया था। उस समय हम सभी लोग, पूरी पार्लियामेंट, सभी दलों के लोग आपकी सरकार के साथ सहयोग करने के लिए साथ खड़े हो गये थे। आपको तो हमें सहयोग और बधाई देना चाहिए कि अयोध्या में पांचों आतंकवादियों को एक घंटा 20 मिनट के अन्दर मार गिराया गया और हमारे किसी भी आदमी को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा, न ही हमारा कोई सुरक्षाकर्मी शहीद हुआ, न ही राम मन्दिर को कोई नुकसान पहुंचा। बताओ ? है ऐसा कोई उदाहरण जहां हिन्दुस्तान की सारी एजेंसी फेल हो गई लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की एस0टी0एफ0 और पुलिस ने एक महीने के अन्दर पूरे आतंकवादियों को जहां से शुरूआत हुई थी और अन्त तक कौन सहयोगी रहा, सभी का पता लगा लिया। बनारस में आतंकवादियों ने हमला किया। वह कोई मामूली आतंकवादी नहीं थे। वह एक प्रमुख आतंकवादी संगठन का उत्तर प्रदेश का प्रमुख था। हो सकता है कि वह सबसे बड़ा आतंकवादी हो। मैं आतंकवादियों के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। चाहे जम्मू-कश्मीर के हों या उत्तर प्रदेश के, मैं उनका प्रचार नहीं करना चाहता। दूसरे दिन ही उसे मार गिराया और जम्मू-कश्मीर की पुलिस को सूचना देकर उनके साथ मिलकर हमारी एस0टी0एफ0 ने वहां जाकर आतंकवादियों को मरवाया। आतंवाद की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। अमेरिका, जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और अपने को बड़ा सुरक्षित महसूस करता था, आज उसकी क्या हालत है ? उसके नागरिक आज कितनी दहशत में हैं।

आपको पता है, मैंने आदरणीय अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवानी, जसवन्त सिंह जी से क्या कहा था ? आपकी पार्टी में प्रमोद महाजन एक अच्छा नेता उभरकर आ रहा था। वही ऐसा था जो संभाल सकता था। उनके अन्दर इतने गुण थे। जसवन्त सिंह जी से मैंने कहा था कि अमेरिका के लिए आतंकवादियों के सामने इतना खुलकर क्यों आते हैं ? लेकिन कहा कि अफगानिस्तान पर हमला होगा, हम तैयार हैं, आतंकवादियों पर हमला होगा, हम तैयार हैं। आपको पता है, वही अमेरिका से देश का कितना अपमान हुआ है। अमेरिका ने कहा कि हमें पाकिस्तान की कीमत पर हिन्दुस्तान की मदद नहीं चाहिए। मैंने जो प्रस्ताव रखा था, उसको मान लिया गया होता तो यह दिन न देखना पड़ता। हमने कहा था कि गलत हो रहा है। अफसोस है इस तरह का प्रस्ताव पास कर दें। उस समय सभी पार्टियों के लोग थे। कम्युनिस्ट पार्टी के सुरजीत सिंह भी थे। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गयी। हिन्दुस्तान को अमेरिका ने क्या दिया और क्या अब दे रहा है ? आज भी वह दे नहीं, ले रहा है, बांध रहा है। अब तो हमारी कितनी शक्ति है, कितने एटम बम हैं, कितनी मिसाइल हैं, कितनी क्षमता है, जितनी गोपनीयता है, वह सब उसके लिए खोल दे रहे हैं। हमारी न उस सरकार ने मानी न इस सरकार ने मानी। इसीलिए हमारी सरकार ने दो तारीख को लक्ष्मण मेला मैदान पर और बाद में दिल्ली में वामपंथी दलों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया कि यह समझौता नहीं होना चाहिए। हमारा वह प्रस्ताव पास कर दिया गया होता तो आज आतंकवाद हिन्दुस्तान में न होता। क्या दे दिया अमेरिका ने ?

आपने देखा, अमेरिका ने बहुत अपमान किया है हमारा दुनिया के सामने और कहा कि हमें हिन्दुस्तान से कुछ नहीं चाहिए तो आतंकवाद के इस सवाल पर तो हम एक हों जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सवाल है, राष्ट्रीय सवाल है, प्रदेश का सवाल है। उस पर तो आप मन जोड़िये आप हमारे साथ। एक मन हो जायं जो अच्छा होता। उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है उसमें एक हो जायें तो यह अच्छा है आपको यह कहना था कि आपने जो बहादुरी का काम किया है, उसके लिये आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए था। हमारे एस0टी0एफ0 को धन्यवाद देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इस मामले में हम निर्विवाद रूप से आपके साथ हैं। यह आतंकवाद का सवाल है, इसे गम्भीरता से लिया जा रहा है। माननीय नेता विरोधी दल, आपकी जो छवि है, उसको सुधारिये आप। आपने जो कहा वह हमें आप जैसे व्यक्ति से उम्मीद नहीं थी। आपने जो भी कहा है वह किसी दबाव में आकर कहा है। किसी के दबाव में आकर इस तरह की बात मत कहिये। यह कुर्सी या ये कुर्सी अमर नहीं है। आप जो आचरण करके जायेंगे, वही अमर रहेगा। आप किसी के दबाव में आकर मत कहिये। हमको पता है कि आप किसी के दबाव में आकर इस तरह की बात कह रहे थे और वो बुलवा रहे थे और देखा कि आप ज्यादा नहीं गाली दे रहे हैं तो वे उठकर चले गये। यह सच है। अगर आपका भाषण हो रहा हो और आपके बगल में बैठने वाला आदमी चला जाए और मेरा भाषण न सुने तो क्या महसूस करेंगे आप ? एक परम्परा भी है। लेकिन आज आप देखिये, उस परम्परा को तोड़ने वाले देखिये आज कहीं दिखाई दे रहे हैं ? यहां बोल रहे थे। वे समझते हैं कि वे हम पर बड़ी चतुराई से हमला कर जाते हैं। लेकिन हम बैठे लोग समझ जाते हैं कि कितनी कटुता है, अन्दर परेशानी है। अब वो सामने होते तो हम कुछ कहते, कुछ बतलाते। (किसी सदस्य के यह कहने पर कि सारी की सारी लाइन बीच तक चली गई) ऐसा नहीं है। हमारे श्रीवास्तव साहब

बैठे हैं, बाजपेयी जी को तो छोड़िये। गौर साहब भी बैठे हैं। इस मामले में वे ठीक ही रहते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्यवाही की जा रही है। हमें आपके सहयोग की जरूरत है, पूरे सदन के सहयोग की आवश्यकता है। एक विकास परिषद् बना तो बस उसी के पीछे पड़ गये। पता नहीं क्या परेशानी हो गई ? परेशानी है, आपको भी है, औरों को भी परेशानी है। क्या कभी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हिन्दुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रथम लोग हैं, उनको एक साथ लाकर खड़ा, देश के अन्दर एक मंच पर कभी खड़ा कर पाये हैं ? क्या कभी कोई सरकार कर सकी है ऐसा ? हमारी सरकार ने किया है और यह हमारी सरकार का सहयोग और अमर सिंह जी की समझ है। पूरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है उत्तर प्रदेश के विकास के लिये। यह हमारे मंत्रियों की फौज है। आप पूछिये इनसे। वे केवल राय देते थे और यह उसका परिणाम है। जो उनकी राय आई, हमने इनको बताया कि ऐसी बात है और इसकी हमने मंत्रि-परिषद् में चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिये और उसका परिणाम हमारे सामने है। एक नहीं अनेक लोग हैं, मैं उनके नाम बता सकता हूं। रोजा का बिजली घर नहीं बनेगा ? कुमारमंगलम अभी आये थे। कितने और नाम मैं बताऊंगा। ऐसे लोगों को और कोई इकट्ठा कर सका अभी तक हिन्दुस्तान में ? कोई सरकार नहीं कर सकी। धन्यवाद देना चाहिए था कि ऐसे सुझाव दिये बिना पैसे के और तो भी अमर सिंह जी की सदस्यता ले ली गई।

माननीय प्रमोद जी, मैं कहूंगा मैं आज कह रहा हूं कि यह जो विधेयक आया है, उसने केवल एक जया बच्चन की सदस्यता लेकर अच्छा काम नहीं किया है सबकी सदस्यता बचा ली गई। विधेयक में संशोधन हो सकता था। लेकिन जब प्रतिशोध की भावना से काम किया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जया बच्चन आप अमिताभ बच्चन से नाराज हैं। उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। उनको पीढ़ी दर पीढ़ियां याद करेंगे हजारों साल। उन्होंने कला के क्षेत्र में नाम किया है। मुझे अफसोस है कि जया जी की सदस्यता ले ली गई। जब बिल पास हुआ एक की सदस्यता जायेगी और बाकी की बचा ली जायेगी ? हम जानते हैं, बामपंथी दल हमारे मित्र दल हैं, उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चल सकती तो बचाया। स्पीकर साहब भी थे। कोई पार्टी ऐसी नहीं थी। लेकिन सबकी बचा ली थी तो उनकी भी बचा सकते थे, पूरा अधिकार था। लेकिन उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। यह बड़े अफसोस की बात है। यह अच्छी बात नहीं है जो संविधान निर्माताओं की भावना थी कि लोक सभा में जब कानून पास होगा तो राज्य सभा में जा करके हर वर्ग के लोग बैठे होंगे। हर वर्ग के लोग देखेंगे तो उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं कानून में हो रही है तो बताइये, जया बच्चन को लेने का क्या सवाल जहां रामाभाई आदि, कितने नाम बतायें और बहुत सारे लोग स्टार, कलाकार गए हैं। तमाम लोग हैं, वैजन्तीमाला हैं। लता मंगेशकर जी हैं। इसी तरह से गई हैं। यह भी हम कहेंगे बहुत आदर सहित माननीय नेता कांग्रेस पार्टी से, आप भी सलाह दिया करो। कोई कमी हो तो सलाह दिया करो। पता लगाइए, हमारी पार्टी में बहस होती है। प्रधान मंत्री तक पर बहस होती है और खुल्लमखुल्ला बोलते हैं। फिर आप कहते हैं आजम साहब और उनका एक मंत्री, अरे यह तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बोलने का अधिकार है इसमें कौन सी परेशानी है ? हमें तो परेशानी है नहीं आपको कौन सी परेशानी है ? परेशानी तो हमको होनी चाहिए। तानाशाही थोड़े है

हमारी पार्टी के अन्दर और उसी से सब जुड़े हैं कभी भी आपने देखा, हमारी सरकार चली गई, आपने खुद खूब अच्छी तरह से गिराई और कोई बचा नहीं सी0पी0एम0 को छोड़कर। लेकिन हमारे बहादुर साथी कभी छूटे ? क्योंकि हम विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग हैं। आज वही दल है, जो विचारधारा पर वचन भंग न करने वाली समाजवादी पार्टी है। इसलिए यह मजबूत पार्टी है। सब मजाक करते थे कि तीन जने की पार्टी रह गई। एक साल के अन्दर हमने सरकार बनाई। इसमें सबका सहयोग रहा, आपका भी सहयोग रहा। कांग्रेस पार्टी का सहयोग तो रहा ही। इन्होंने जबर्दस्ती सरकार बनवाई। आज मैं कहना चाहता हूं कि हम नहीं बनाना चाहते थे। यह सच्चाई है। आज माननीय कल्याण सिंह जी नहीं हैं आपका ऐसा दबाव पड़ा, पाल जी नहीं हैं, चौधरी अजीत सिंह जी का, तीनों का दबाव पड़ा। मैं शपथ लेने वाला नहीं था। हम तो चुनाव लड़ने वाले थे। यह सच है। ऐसा मत समझिए आप लोग। यह दल सत्ताधारी नहीं है। सत्ता जाए या आए, हम आएं चाहे न आएं, हम देश के प्रति, देश प्रदेश के विकास के प्रति सम्मान करते हैं।

यह सदन चलाते हैं, विचारधारा एक-एक विषय पर रखवाते हैं, बुलवाते हैं। आपके यहां तो बस यही किया जाता है कि हिन्दू मुसलमानों ने यह किया, वह किया। औरंगजेब ने यह किया, वह किया। एक पक्ष छिपा लेते हो। हम इस पक्ष में नहीं हैं। दूसरा पक्ष भी आना चाहिए। वह किताब किसने लिखी है सुभाष चन्द्र बोस जी से गांधी जी उर्म्मादवार बनकर हारे ? पी0एन0 पाण्डेय और सप्रू जी ने वह नहीं हैं इस दुनियां में। उन लोगों को पता चला क्या-क्या औरंगजेब ने कैसे किया है, तो आश्चर्य हुआ कि किन-किन मंदिरों के पुजारियों के लिए औरंगजेब ने मदद किया। उज्जैन वाले, कन्नौज वाले और कई हैं वहां पर इलाहाबाद में, जिसको लेकर झगड़ा हुआ था वह थी नगरपालिका, उज्जैन पाण्डेय उसके अध्यक्ष थे, तब सप्रू साहब ने पूछा था यह सब क्या हो रहा है ? औरंगजेब तो मदद करता था। उज्जैन और कन्नौज के बारे में लिखा था कि औरंगजेब ने मदद की तो यह पक्ष और वह पक्ष भी छिपाते हो सारे राजा महाराजाओं के बारे में। मैं कहना चाहता हूं औरंगजेब के राजा महाराजाओं के साथ क्या सम्बन्ध थे। मैं साबित करना चाहता हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर देखने जब सब रानियों की इच्छा हुई कि दर्शन करना चाहते हैं। सीता रमणी, उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कच्छ की महारानी के साथ क्या हुआ मन्दिर के अन्दर। पूरी उन्होंने जांच-पड़ताल की, वह बेहोश पड़ी थी। उनके साथ क्या हुआ था ? तो सारे हिन्दू राजाओं ने कहा कि यह अपवित्र काम हो रहा है। यह पक्ष क्यों छिपाते हो ? यह पक्ष भी आना चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए, आप सच्चाई से इतर अध्ययन करते हो। मैं पढ़ता हूं, मैंने दीनदयाल जी के बारे में पढ़ा। कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियां क्या हैं, वह हम पढ़ते हैं। आप तो पढ़ते ही नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, वह सब को मिल जायें तो मैं सच कहता हूं कि आधे से ज्यादा विधायक उधर से आ जायेंगे। तभी तो हम लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी का दिमाग आलमारी में बन्द है। निवेश हो नहीं रहा है ? आप बतायें, अकेले चीनी उद्योग में 5 हजार करोड़ का निवेश हो चुका है और करीब ढाई हजार करोड़ का और हो चुका है और प्रस्ताव है 40-50 करोड़ के और किन परिस्थितियों में गाजियाबाद रुका है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि दोनों भाइयों के सम्बन्ध अच्छे रहे हैं। समझौता हुआ लेकिन उस समझौते से जब अलग हुए तो हाई कोर्ट मुम्बई में यह मुकदमा चल रहा है कि गैस पर हुए समझौते का पालन क्यों नहीं हुआ तो

कितनी बाधाएं हैं और कितनी बाधाएं पैदा की जा रही हैं। अपने जहाज से आते हैं, अपने जहाज से जाते हैं, शिष्टाचार में खाना खिला देते हैं यदि आप उसका भी हिसाब लेना चाहते हैं तो वह भी हम दे देंगे।

मैं बताना चाहता हूं, देश के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर सबसे अच्छा औद्योगिक वातावरण उत्तर प्रदेश का माना गया और इसके लिए मुझे सम्मानित किया गया। औद्योगिकीकरण का वातावरण उत्तर प्रदेश में प्रथम पर है आज ग्रेटर नोयडा और नोयडा में क्या हालत है, हाईटेक सिटी बन जाने के बाद और आप देखें, क्या हालत है लखनऊ में आप खुद खुश होंगे कि आज लखनऊ में किस तरह से लोग आने लगे हैं तो ऐसा नहीं है कि निवेश नहीं हो रहा है और उनके झूठे वायदे हैं। आपको पता होना चाहिए एक भी किसान ने आज तक उत्तर प्रदेश में आत्महत्या नहीं किया है। आन्ध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र आदि कई प्रदेशों के सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। बाराबंकी में एक आया था, जांच कराई तो मामला दूसरा निकला, वहां के कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया था। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे सदन को, कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। आज किसान सम्पन्न है लेकिन जल का संकट है और जल के संकट में आप जानते हो कि कितने लाख हैण्डपम्प लगा दिए हैं। आपके माध्यम से लगे हैं। जल संकट है लेकिन आदेश दिये गये हैं कि समय से हैण्डपम्प लगाये जायें। नगर विकास मंत्री से कहेंगे। इस समय वाटर लेबिल नीचे चला गया है और इसी समय हैण्डपम्प लगवाने की कोशिश करें। यही सही समय है। मैं अधिकारियों को आदेश दे रहा हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इसी डेढ़ महीने में हैण्डपम्प लगाने की नीति तैयार करें। इसलिए मैं नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं, आप चिन्ता न करें और आप सहयोग देते रहें। आपने मेरे और महामहिम राज्यपाल के बीच टकराव की बात कहां सुनी ? हमारे और महामहिम राज्यपाल जी के बहुत गहरे सम्बन्ध हैं। हमारे बीच कोई टकराव नहीं है। आजम साहब का भी टकराव नहीं है। महामहिम राज्यपाल जी ने भी इनकी तारीफ की है और बस इतना कहा है कि कभी-कभी मौन रहें। आजम साहब मौन रहे। जब महामहिम राज्यपाल जी को दिक्कत नहीं है तो आपको दिक्कत क्यों है ? उन्होंने कहा कि कभी-कभी मौन रहना चाहिए इसलिए मौन रहे।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तारीफ हो रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने लिखा है कि आज के दिन बंगलौर से अच्छी सड़कें लखनऊ की है और पानी, बिजली भी सबसे अच्छी लखनऊ की है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में बिजली आती है ? वहां पानी आता है ? क्या स्थिति है मुम्बई के अन्दर ? आज राजधानी लखनऊ की हर जगह तारीफ हो रही है। देश के एक बहुत बड़े नेता यहां आए थे तो जब उन्होंने लोहिया पार्क देखा तो बोले कि लखनऊ के अन्दर इतना बड़ा पार्क यह तो कल्पना से बाहर है। मान्यवर, एक नेता की मुम्बई में अभी मृत्यु हो गयी। मुझे उनका नाम स्मरण नहीं हो पा रहा है उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि आपने बहुत अच्छा पार्क बनाया है आपने लोहिया ट्रस्ट संस्था बना दी है। आप हमसे बात कर लें, मैं दिल्ली में [illegible] विचार-विमर्श करेंगे। लेकिन उनका निधन हो गया। हमें उनकी मृत्यु का अफसोस है। मान्यवर, आज पूरे देश में लोहिया पार्क की तारीफ हो रही है। मान्यवर, यह ऐसा पार्क बना है कि कई शहरों में उसकी तारीफ हो रही है। कोई ऐसा नहीं है जो उसकी तारीफ न करता

हो। आज सभी उस पार्क का लाभ उठा रहे हैं। आप भी वहां गये। प्रमोद जी न जाने क्यों वहां नहीं गये ? मान्यवर, गंगा, यमुना, घाघरा नदी पर पुलों का निर्माण तेजी से हो रहा है। अभी एक वरिष्ठ सदस्य योजना आयोग के आये थे, उन्होंने अकेले मुझसे कहा है, बहुत कुछ कहा है। अच्छी बात कही है और बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की गाड़ी बहुत अच्छी चलने लगी है। लॉ एण्ड आर्डर की बात कही गयी। एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने लिखा है, उसने दस सूबे पिछड़े माने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। महत्वपूर्ण एजेन्सी ने लिखा है कि यहां की स्थिति अच्छी है। यह भी कहा गया कि कुछ जिलों को पोषित किया जा रहा है तो इससे निराधार आरोप और क्या हो सकता है ? सड़कें जितनी मांगी गयीं, वह हमने सबको दी, विधायक निधि सबको दे रहे हैं, हैण्डपम्प के मामलों में भी कोई भेदभाव नहीं है, पुलों के मामलों में भी कोई भेदभाव नहीं है जिसने जो मांगा वह हमने दिया है। अब क्या नेता बसपा उस पुल से नहीं गुजरेंगे ? क्या उस पुल से हम लोग ही निकलेंगे ? इन्होंने तो सब कुछ उठवा लिया था। सीमेण्ट उठवा लिया, लोहा उठवा लिया जो भी सामान पड़ा था वह सब उठवा लिया था। केवल पिलर रह गये थे।

मान्यवर, आश्चर्य होता था। ऐसी-ऐसी सड़कें थी जिन पर पैदल चलना मुश्किल होता था। वह पैसा कहां चला गया मरम्मत का ? सैफई से मैनपुरी की सड़क की हालत बहुत बुरी थी। हमें लोगों को बताना पड़ता था, अगर कोई बाहर से आ गया तो इस रास्ते से आओ। हमारे बदायूं के, फर्रुखाबाद के सांसद आते थे उन्हें बताना पड़ता था। अब बतायें कि सड़कें कैसी हैं ? पहले जहां से समाजवादी पार्टी का विधायक जीतता था तो एक रुपया उसके क्षेत्र में नहीं खर्च होता था। आज हमने दस-दस गांव दिये हैं। अगर समय से चयन कर लिया होता तो आज वह सब दिखायी देते। मैंने अधिकारियों से कह रखा है कि अगर समय से चयन हो गया है तो उसका विकास होना है। हां, नेता बसपा ने जो कहा कि डलमऊ में जो गांव दिये गये थे, उसका समय से चयन भी हो गया था, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। मैंने अधिकारियों से जवाब मांगा है कि जब समय से चयन हो गया है तो क्यों नहीं उस पर काम हुआ ? उस पर कार्यवाही होगी। एक बात और कही गयी नेता बसपा द्वारा कि गुण्डाराज है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यहां पर सब गुण्डे बैठे हैं ? यह प्रदेश कौन चला रहा है ? गुण्डे चला रहे हैं ? यह एक परिवार है तो क्या यह सब गुण्डे हैं ? प्रमोद कुमार जी बैठे हैं, अग्रिम पंक्ति में जो नेता बैठे हैं, क्या यह गुण्डे हैं ? कम से कम आप जो बोला करें वह सोच समझकर बोला करें। राजभर जी, अपने नेता को समझा दीजियेगा कि ऐसा न बोला करें। एक बात और कही गयी कि बिजली का उत्पादन कम हो रहा है और बिजली का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। कितना आश्चर्य होता है कि बिजली के लिए हमने कोई काम नहीं किया। नेता कांग्रेस पार्टी ने बहुत बातें की हैं एक आध बात कही तो उन्हें हम बता दें कि क्या-क्या परेशानियां हैं।

अब माननीय डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी, डाक्टरों की जो कमी है, आपको पता है कि हमने कान्ट्रेक्ट पर भी काफी डाक्टरों को रखा है और बहुत प्रयास कर रहे हैं कि 14 हजार डाक्टर और रखें और इसके लिए लोक सेवा आयोग से भी अनुरोध कर रहे हैं, वहां जल्दी-जल्दी इण्टरव्यू चालू हैं। तो यह समस्या सबमें है। रही आपके गोरखपुर मेडिकल कालेज की बात तो टिक्कू

कमेटी लागू करके हमने गोरखपुर मेडिकल कालेज को बचा लिया। अगर मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया से हमारे सम्बन्ध अच्छे न होते तो वह मेडिकल कालेज को खत्म कर देती। तो उसको हमने बचाया और सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि उसको पहले से काफी अच्छा कर दिया और दिमागी बुखार के लिए हमने कितना रुपया दिया ? और मेडिकल कालेज को सबसे अच्छा बनाने के लिए कितना रुपया दिया, 20-22 करोड़ रुपये तो हमने अकेले मेडिकल कालेज को दे दिया है और आप का जो मांग-पत्र है उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन आप तो डाक्टर हैं। तो हम से कहते कि आपने इतना बढ़िया काम कर दिया है कि वहां पर हमेशा-हमेशा के लिए शोध संस्थान खुले। 9-10 करोड़ रुपये हमने आपके मेडिकल काजेज के लिए दिया है। अब जहां तक माननीय नेता कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बिजली संकट है, तो मैं आपको बता दूं, यह बिजली संकट लगभग पूरे उत्तर भारत में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, मुम्बई में है। कई जगह है, कुछ सूबों को छोड़कर लगभग पूरे खूबों में बिजली का संकट है और उस संकट को दूर करने के लिए हम बिजली का उत्पादन करने का कितना प्रयास कर रहे हैं यह तो आपको पता ही है। आनपारा-सी की अभी आपने बात कही। आनपारा-सी किसने मना किया है ? आपकी सरकार के ही मुख्य मंत्री जी ने मना किया है। उन्होंने मना किया है, हमने मना नहीं किया। हमने तो टेण्डर डाल दिया। यहां तो ऐसे-ऐसे आरोप लगा रखे हैं कि 24 चीनी मिलों को हमने अभी तक निजी क्षेत्रों में दिया भी नहीं और सौ करोड़ रुपये हम ले चुके हैं ? प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी कि अमर सिंह ले चुके हैं और हम ले चुके हैं और जाकर के उन्होंने जांच भी करा ली। उन्हें दिखाई नहीं दिया कि 24 चीनी मिलें अभी निजी क्षेत्र में गई ही नहीं। इसके लिए हमने आपकी अनुमति मांगी थी और सहर्ष सदन में अनुमति दी थी और आज सारे किसान इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर निजी क्षेत्र में चली जाती तो हमको गन्ने की कीमत ज्यादा मिल जाती। सरकारी चीनी मिलें और कोआपरेटिव चीनी मिलें जहां मुनाफे में होंगी, वहीं पर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को अच्छी कीमत दी जाय और जहां घाटे में चल रही हैं वह कहां से दे देंगे ? तो हर क्षेत्र में हमारी सरकार कहीं भेद-भाव नहीं करती है। पहले कांग्रेस की कहां स्थिति थी ? लेकिन उस समय शहरों की तादात कितनी थी ? अगर ऊंचाहार और टाण्डा नहीं बेचे होते तो 420 और 840 कितना हुआ, यह मिलाकर के हुआ 1280।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

यह सब मिल रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

सब कहां मिल रही है ? और जो मिल रही है वह कितने पैसे में मिल रही है ? दो रुपये बीस पैसे में मिल रही है। कितनी मंहगी मिल रही है ? इस पर अगर हम ज्यादा बिजली ले लें तो जुर्माना हो रहा है। अभी तो उन्होंने चेतावनी के रूप में कहा है कि दो हजार करोड़ रुपये जुर्माना की चेतावनी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने इतनी ज्यादा बिजली कैसे ले ली ? हम कितने प्रयासों से बिजली ले रहे हैं, उसकी तो सराहना करनी चाहिए कि कैसे-कैसे हम बिजली ले रहे हैं। किस बात का जुर्माना ? बिजली हमने अपने घर के लिए तो नहीं ली है, आम जनता के लिए ली

है। आपके लखनऊ को 24 घण्टे बिजली दे रहे हैं, कटौती नहीं कर रहे हैं। पहली जून और सितम्बर से बिजली कम नहीं पड़ेगी।

* श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय टण्डन जी ने कहा था कि टाण्डा और ऊंचाहार दोनों कांग्रेस के शासनकाल में बेचा गया, हमने प्रति उत्तर में कहा था नहीं यह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेचा गया। मैं सिर्फ अपनी जिज्ञासा शान्त करना चाहता हूं कि आप यह न भी बतायें कि किसकी सरकार उस समय थी, लेकिन आप सिर्फ सन् बता दीजिए, कि यह किस सन् में बिके थे ?

* श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, अभी माननीय नेता कांग्रेस विधान मण्डन दल जो कह रहे हैं, जब आज जुर्माना हो रहा है आज जैसे देना बिजली का बन्द हो रहा है, सेन्ट्रल गर्वनमेंट नान-कोआपरेशन कर रही है। उसी समय मैं पावर मिनिस्टर था और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। उसने यह कह दिया था कि हम जो आपके वक्त का कर्जा था कि अगर यह नहीं अदा होगा तो एक यूनिट बिजली नहीं दी जायेगी। तो प्रदेश को उसके लिए इस शर्त के ऊपर ऊंचाहार दिया गया था कि उसमें जितना उत्पादन होगा वह सब यहां पर मिलेगा। हमें ही मिलेगा। खाली मैनेजमेंट ट्रांसफर हुआ था और वह कर्जा आपके वक्त का था जिसको अदा करने के लिए यह किया गया था। बेचना शब्द उसमें खत्म कर दीजिए कि यहां बेचना, किसी के हाथ बेचा जा सकता था। लेकिन यह केन्द्र सरकार ने जबरदस्ती उसको ट्रांसफर कराया था कि नहीं तो बिजली नहीं मिलेगी। या तो आप पैसा अदा करें। उत्तर प्रदेश की ऐसी आज भी नहीं है माली हालत कि सारा पैसा जितना भी है वह अदा कर दें। अब तो कैश देने पर भी नहीं दे रहे हैं। उस समय आप अन्धाधुन्ध कर्जा बढ़ाते हुए चले गये और वह कर्जा अदा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ गये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हमने आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना है अब आप को हमें संयमपूर्वक सुनना चाहिए। जो करें उस पर शर्म नहीं करनी चाहिए। यह सच्चाई है कि आपके कार्यकाल में, उस दिन आपने मुझे यह चुनौती दी थी कि कांग्रेस के कार्यकाल में बिका है। याददाश्त कभी-कभी धोखा देती है।

श्री लालजी टण्डन-

सेन्ट्रल गवर्नमेंट में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आज भी है।

श्री प्रमोद कुमार-

आपने कहा था ट्रांसफर किया था तो बिकने के बाद ट्रांसफर नहीं होता है तो और क्या होता है। अब आपको बेचने पर शर्म लग रही है अगर तो उस शर्म के लिए खड़े होकर सदन में कह दीजिए कि हमसे गलती हुई है हमने बेचा और फिर टाण्डा जब बिका था तो उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय केन्द्र में भाजपा की सरकार थी और प्रदेश में आपकी सरकार थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो क्या आपकी बेशर्म प्रदेश की सरकार और उस समय की बेशर्म भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश पर जुल्म ढाया था। जबकि बजाय इस बात के कि जिस समय टाण्डा बिका था उस समय आपकी पार्टी की सरकार केन्द्र में थी या नहीं थी। अगर याद नहीं रहता है तो कम से कम दूसरे की याददाश्त को चुनौती न दिया कीजिए। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब टाण्डा बिका था तब केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हो सकता है जो मंत्री रहा हो उससे आपकी न पटती रही हो। मैं यह मान सकता हूं। लेकिन अगर आप अपनी ही सरकार को गाली देंगे तो मैं एक बार तो समझाऊंगा कि टण्डन जी ऐसा अनर्थ करके भारतीय जनता पार्टी को गाली मत दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी और नेता विरोधी दल जी ने बुनकरों की समस्या का सवाल उठाया है, हम उनका बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत गम्भीरता से निर्णय भी लिये हैं। आपको पता है कि बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए हमने हरसम्भव प्रयास किया है। पावरलूम पर बुनकरों को 50 प्रतिशत की छूट दी है और किसानों की भांति विद्युत बिलों में छूट की सुविधा हमने उनको भी दी है और उसके लिए सप्लीमेंटरी बजट में प्राविधान भी किया है, जिसको आपने पास किया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम यूपिका के लिए 100 करोड़ रुपया आवंटन करने की योजना बनायी है और उनको सूत उपलब्ध कराये जाने के पूरे प्रयास हैं और सरकार की ओर से यह प्रयास है कि उनका माल कैसे बेचा जाये जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा रहे। इसलिए जहां तक बुनकरों का सवाल है, हमने बहुत किया है। अभी बुनकर भाइयों ने मेरा अभिनन्दन और स्वागत किया था। वे तैयार इस बात के लिए बैठे हैं कि पूरे प्रदेश में बुनकर यहां इकट्ठा हों। तो जो किसानों के लिए हम कर रहे हैं उससे कम बुनकरों के लिए नहीं कर रहे हैं। आज जो हिन्दुस्तान का विकास है उसमें कम से कम 80 प्रतिशत जो विकास है, वह किसानों और बुनकरों के सहयोग से है और मान्यवर, आज वही सबसे ज्यादा परेशान हैं। मान्यवर, गेहूं की खरीद के बारे में बात आयी। आज पहली बार किसान गेहूं नहीं दे रहा है, वह मण्डी में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है ? आज उनको गन्ना की कीमत इतनी मिली है। उन्होंने कह दिया है कि साहब हमें बेचने की अभी जरूरत नहीं है। वह इन्तजार कर रहे हैं हजार रु0 का। हमने कई बार सलाह दी है। हमने आपसे 700 रु0 की कीमत मांगी थी। आज भी हम सलाह दे रहे हैं, वह हम नहीं दे सके किसानों को। हम जबरदस्ती तो किसानों से नहीं ले सकते हैं। किसानों को मुनाफा देने के लिए ही तो हमने नीतियां बनायी हैं।

हमारी विकास परिषद् ने कितनी नीतियां बनायी हैं। चीनी उद्योग की और किसान हित की नीतियां हम बना रहे हैं तभी तो इतनी कीमत मिल रही है और हम देंगे किसानों को। हमारा कहना है कि आस्ट्रेलिया से और विदेश से खरीदने के बजाय मण्डियों से क्यों नहीं खरीद लेते ? क्यों विदेशी खायेंगे हम ? अगर वहां से आप राशन की दुकान तक पहुंचायेंगे तो अध्यक्ष महोदय, कम से कम 1000 और 1100 रु0 प्रति कुन्टल खर्चा होगा तो बजाय आप यहां किसानों से हम भी मदद करते आपने किसान से इतना लिया, आप इन्हें 800, 850, 900 में दीजिए, यह सलाह दीजिए सरकार को और इस सदन के माध्यम से सलाह हम दे रहे हैं कि विदेशी गेहूं मत मंगाइये, सड़ा गला गेहूं मत खिलाइये, आप सीधा मण्डी से गेहूं खरीदवाइये। मण्डी से खरीदिये। आप यहीं पर

50 रुपया ज्यादा दे दीजिए और देंगे और हम भी कहेंगे, हम भी रोकथाम करेंगे, मदद करेंगे तो क्यों आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगा रहे हैं ? क्यों विदेश से मंगा रहे हैं ? हमारे हिन्दुस्तान में है, मण्डियों में है। वह जायें, मण्डी से खरीदें जाकर। सरकार पूरा सहयोग करेगी। विदेशी अन्न जो सड़ा गला आयेगा, एक तो अमेरिका का खा चुके सड़ा गला, आपको याद होगा रोटी तवा पर रखते ही टूट जाती थी। लेकिन अफसोस है कि यह हमें पता नहीं। माननीय नेता विरोधी दल के साथी सीधे तो हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन पता नहीं। आज किसानों को लाभ हो रहा है। एक भी किसान का इन्होंने नहीं कहा कि बहुत अच्छा काम किया है। आपने एक भी बुनकर भाई के लिए कुछ नहीं कहा। आपने कन्या विद्या धन के लिए कहा क्या ? कर दिया ? हमने गरीबी रेखा के नीचे 19,000 रुपया है, आप जानते हैं, हमने 20000 इसीलिए कर दिया। वजीफा सबको दिया, बिना भेदभाव के दे रहे हैं। इसकी तारीफ नहीं किया। 3 लाख को रोजगार दिया है हमने सरकारी नौकरियों में और 2 लाख को देने को है। भूमि सेना का नाम तक नहीं लिया। भूमि सेना की इतनी तारीफ की है, योजना आयोग ने तारीफ की है। योजना आयोग ने कहा कि आपके पुराने मित्र ने वहां सवाल उठाया था उसमें हम देखना चाहते हैं। वह अचानक लखीमपुरखीरी पहुंचे और 6.00 बजे बताया कि अचानक देखेंगे। अचानक पहुंचेंगे और अचानक पहुंचे और तारीफ कर गये भूमि सेना की, जबकि 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जल्दी 2 साल में बनाने का इरादा है, जो जमीन सिकुड़ रही है। ईंट लग रही है, पत्थर लग रहे हैं, सिकुड़ती चली जा रही है जमीन। उसकी चिन्ता है। इससे अन्न घट रहा है और अन्न का उत्पादन होगा तो बेरोजगारी खत्म होगी और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं हम। सारे हिन्दुस्तान के कार्यालयों में ताले डाल दिये हैं केन्द्र सरकार ने।

अकेला उत्तर प्रदेश है जहां हम 3 लाख सरकारी नौकरियां दे चुके हैं और भी देंगे। आपने कहां ? तहसील से लेकर वकीलों के चैम्बर बन गये हैं, उद्घाटन करने के लिए सारे वकील, हमसे समय मांग रहे हैं। क्या शानदार चैम्बर बनाकर खड़े कर दिये हैं। कहीं चेकिंग नहीं किया। तहसील में 31 जुलाई तक बनाने का एलान किया हमने कि सारे वकीलों के चैम्बर बन जायं। वकीलों के लिए सुविधा दे रहे हैं। सुविधा किसके लिए नहीं दिया ? वजीफा अब कितना वजीफा दे रहे हैं। साढ़े 67 करोड़ तो पहले साल दे दिया। बेरोजगारों को हम दे रहे हैं। हमारी सरकार आयेगी, दुबारा चुनकर आयेगी, लगातार बेरोजगारों को भत्ता देते रहेंगे। यह एक साल के लिए नहीं, लगातार देंगे। तो पता नहीं हमारे किसानों से हमारे गरीबों से, हमारे बुनकरों से, छात्रों से वकीलों से और व्यापारियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, सदन के माध्यम से उन्हें सुविधा हमने जरूर दी है अध्यक्ष महोदय, उसके बदले में उन्होंने हमको संसाधन दिये हैं। आप कहेंगे कहां से लायेंगे ? आपने पढ़ा ही नहीं। हम कहेंगे अधिकारियों से 26,00 करोड़ रुपये लिया तो है 1600 करोड़ का लगभग जो हमें देना है और 2600 करोड़ ज्यादा सेल्सटैक्स वसूला है, सारे व्यापारियों ने सहयोग किया, 29 फीसदी सेल्सटैक्स ज्यादा मिला है। आपने कहा घाटा कहां से पूरा करेंगे तो पूरा कर लिया हमने। आपने नहीं तारीफ की कि जो रेवन्यू डेफिसिट चल रहा था तो इस सरकार ने उसको दो साल पहले, जो निर्देश दिये थे योजना आयोग, नई दिल्ली ने सरकार को, वह पूरा कर लिया। 25 साल से घाटे पर चल रहा था उत्तर प्रदेश और बिना किसी सहयोग के अपने संसाधनों से पूरा किया। अब यह पता नहीं, इन्हें गरीबों से क्यों नफरत है, किसानों से क्यों नफरत है ? यह सरकार किसानों की है,

गरीबों की है, बेरोजगारों की है। यह सरकार बिना भेदभाव, जाति-पांत देखे हुये सबकी है जो मैंने कहा था कि यह सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि 17 करोड़, साढ़े 17 करोड़ जनता की सरकार है। यह मैंने करके दिखा दिया तो क्या वजह है ? यह मैं बी0एस0पी0, कांग्रेस और बी0जे0पी0 से पूछना चाहता हूं। आपको गरीबों से क्यों नफरत है ? किसानों से क्यों नफरत है ? व्यापारियों से क्यों नफरत है ? वकीलों से क्यों नफरत है ? शिक्षकों की उम्र बढ़ाई हमने जो सुविधायें इनको दी, हमने जो मुसलमान भाइयों को सुविधायें दी, हिन्दुस्तान में किसी एक सरकार का नाम बता दो, जिसने दी हों, जितनी इस सरकार ने दी है। हम आपको किताब दे देंगे। आपको उर्दू में भी लिखकर दे देंगे। कोई वर्ग नहीं, उत्तर प्रदेश की 17 करोड़ जनता बता दें, जिसको लाभ न पहुंचा हो। अब कहते हैं कि क्या हुआ आठ रुपये का पर्चा एक रुपया करके ? चलिये आप मेरे साथ, उनको ले चलिये और देखिये, वहां कितने लोग ओ0पी0डी0 में मिलेंगे तीनों अस्पतालों में। लोहिया अस्पताल, श्याम प्रसाद मुखर्जी और बलरामपुर अस्पताल में। तीनों में चलिये और वहां खड़ी जनता से पूछ लीजिये। जनता कहेगी कि गरीबों की सुनने वाली केवल समाजवादी पार्टी की सरकार है। अगर न कह दे तो हम वहां से चले आयेंगे। यह कहते हैं लोग। हम जाते हैं अस्पताल में। एकदम भीड़ टूट पड़ती है और कहती है कि साहब गरीबों का आप ही काम कर रहे हैं तो गरीबों का काम करने से हमारा प्रदेश जो पिछड़ रहा था, उसको हम आगे लाये हैं। जिनको कभी दवा नहीं मिल सकती थी, अब दवा मुफ्त मिल रही है, चारपाई भी मुफ्त। लाइन में लगेंगे। अगर हम यह नहीं करेंगे तो धक्कामुक्की होगी और पुलिस लगानी पड़ेगी। शुरू-शुरू में जिले-जिले में पुलिस लगानी पड़ रही थी जब हमने आठ रुपये का पर्चा एक रुपया किया था। अध्यक्ष महोदय, पुलिस लगानी पड़ी, इतनी भीड़ हुयी। यह डा0 राधा मोहन जी कभी सैफई चलें, इस समय ओ0पी0डी0 में 1500 लोग होंगे। उन गरीबों को देखिये। उनके बच्चों को आप देखेंगे तो स्वयं जान जायेंगे कि उनको अच्छी तरह खाना मिलता होगा कि नहीं। उन गरीबों के लिये अस्पताल है।

गांधी जी को आप भूल गये। गांधी जी ने क्या कहा कि गांव को देखो। हम गांव को देख रहे हैं। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि एक साल के अन्दर आप देखेंगे, मेडिकल कालेज को देखेंगे, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कर चुका है। हम जानते थे कि अच्छे डाक्टर नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं यह सारा विकास आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के लिये, कि नहीं ? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं ? अगर आप तारीफ करेंगे तो जनता आप पर विश्वास करेगी और आज हम कह रहे हैं चाहे, जितनी योजना बनायें, चाहे जितने मोर्चा बनाये, लेकिन अच्छे काम का जनता अच्छा जवाब जरूर देगी। अभी तो यह लोग निकले नहीं, हम निकले नहीं। निकलेंगे तो आप देखेंगे कि जनता किसके साथ है हम अस्पतालों में चले जायेंगे ? वकीलों में चले जायेंगे, छात्रों में चले जायेंगे। इसलिये हम कहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहते हैं, आपकी सरकार और इतनी बड़ी पार्टी पर जनता का विश्वास क्यों उठा है ? और क्षेत्रीय पार्टी पर क्यों बढ़ा है ? इसलिये बढ़ा है कि क्षेत्रीय पार्टी जनता का ध्यान रख रही है। राष्ट्रीय पार्टियों ने जो कुछ कहा अपने घोषणा-पत्र में, उस पर कभी अमल नहीं किया और हमने जो चुनाव घोषणा-पत्र में कहा, उस पर अमल किया। इसलिये आज हम कहना चाहते हैं, विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। जनता कभी नहीं भूलेगी समाजवादी पार्टी और हमारी लोकदल की सरकार को। कभी

नहीं भूल सकती। सरकार में आये या न आये, लेकिन इस सरकार को जनता नहीं भूल सकती। इस सरकार ने जिस तरह एक-एक कदम उठाया है और जिस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय परम्पराओं का इस सदन के अन्दर पालन किया है। आप लोग बोलते हो, जो कुछ बुरा-भला कहते हो, मैं चुपचाप बैठा रहता हूं, सुनता हूं मौर्या जी, आपकी कोई सही बात होती है तो मैं उसे सही मान लेता हूं। यह राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन आपने क्या कर दिया ? मैंने समझाया कि बी0जे0पी0 ऐसा नहीं करती है, ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार कर जाती है, लेकिन आप दिखा रहे थे होड़ लग गई बी0एस0पी0 और बी0जे0पी0 में कि कौन ज्यादा बैनर दिखा ले। क्या दिखाना चाहिए था बैनर ? हमने देखा है कि बी0जे0पी0 तो ज्यादा से ज्यादा यह करती थी कि बहिष्कार कर जाती थी, लेकिन उस दिन तो ऐसा काम किया कि क्या कहा जाये। मैंने समझाया भी कि ऐसा क्यों कर रहे हो ? पहले तो आप लोग बहिष्कार कर जाते थे, लेकिन आपने भी ऐसा किया। आप कह रहे हैं कि इन लोगों का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कि बहन का कुछ प्रभाव भाई के ऊपर पड़ गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जनता सराहना करती है सरकार की। मैंने आपको इशारा किया कि देश की जनता, प्रदेश की जनता, बहरी नहीं है। उसके पास आंखें हैं। कान हैं, वह अंधी नहीं है, गूंगी नहीं है। उसके पास जीभ है, वह बोलना जानती है। उसके पास कान हैं, वह सुनना भी जानती है, जनता से कुछ छिपा नहीं है, वह सब कुछ जानती है। मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से कहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से संभलकर काम करो तो यह लोग टिकने वाले नहीं हैं। आप लोग जनता में जाएंगे और कहेंगे कि समाजवादी पार्टी हार गई हार गई। इससे कुछ नहीं होता है। इसलिए हम सभी नेताओं को धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों ने जो सुझाव दिया, उसका हम स्वागत करते है। मौर्य जी अब आये हैं। जब हम बोल रहे थे, तब वह आये ही नहीं थे। मौर्य जी बहुत परेशान रहते हैं। नौकरी चली जाएगी। अरे ! नौकरी चली जाएगी तो इससे बेहतर मिल जाएगी। क्यों परवाह करते हो ? और कोई तनाव भी नहीं रहेगा। हर समय तनाव में रहते हैं कि कब किसको निकाल दें।

श्री लालजी टण्डन-

आप मौर्य जी को निकलवा ही देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं ऐसा कभी नहीं करता। हम जानते हैं और हम कह भी देते है। कि आओ तो वचन दे दो कि छोड़ोगे नहीं। हमारे यहां तो भीड़ लगी रहती है। इतनी भीड़ तो किसी के पास नहीं होगी। हम धन्यवाद देते हैं नेता विरोधी दल को, बसपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी दलों के नेताओं को और सभी साथियों को और सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है और मुझे इस तरह का भाषण देने का मौका दिया है, वरना प्रमोद जी हमारे सहयोगी हैं, हमारे कई साथियों ने हमें जवाब दे दिया था। इसलिए हमें अपने तरीके से बोलना पड़ गया। इन्हीं शब्दों के साथ हम सदन से अपील करेंगे कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव को स्वस्थ मत से पास करें और जो विकास चल रहा है, उसे आगे बढ़ाने में सहयोग दें।

* श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि 29 अगस्त, 2003 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली थी और उस समय उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की थीं। उनमें से एक घोषणा यह थी कि प्रदेश की जनता को 16 घण्टे बिजली वह देने का काम करेंगे तो मान्यवर, क्या आज 16 घण्टे बिजली प्रदेश की जनता को मिल रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार कह रहा हूं कि अभी एन0टी0पी0सी0 की थोड़ा मशीन खराब हो गई है और प्रमोद कुमार जी ने बता भी दिया कि यह संकट आपका पैदा किया हुआ है लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि पहली सितम्बर से हम इस वायदे को पूरा करेंगे।

* डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ विषयों पर वार्ता रखी गई, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रारम्भ में अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ आह्वान भी किया कि हम सब लोगों को मिल करके इसे समाप्त करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए और उदाहरण भी दिया कि शायद कुछ लोग इसीलिए जेल में बन्द हैं कि हमने किसी को संरक्षण नहीं दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया है कि जो विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक केसेज हैं उनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाये और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक सदस्यीय कमेटी भी बनायी है कि अनेकों विभागों के अन्दर जो दादागीरी और जबरदस्ती टेण्डर और ठेका ले लिया जाता है वह कौन-कौन से विभाग हैं, वह कैसे रोका जा सकता है ? इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यहां पर 9 दिसम्बर को अपराधियों के सम्बन्ध में .....

श्री अध्यक्ष-

भाषण नहीं स्पष्टीकरण पूछिये।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 9 दिसम्बर को राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण पर इस सदन में चर्चा हुई थी, उसकी कार्यवाही मेरे पास है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आप निर्णय ले लीजिए कि किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, मा0 केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने कहा था कि हम किसी को टिकट नहीं देंगे। प्रमोद कुमार जी ने भी प्रस्ताव रखा था कि हम अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जो आज राजनीति की बहुत बड़ी समस्या है, राजनीति के अन्दर अपराधीकरण हो रहा हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि आज राजनीति से अपराधीकरण मुक्त हो। क्या इसके लिए संकल्प लेने पर सरकार विचार करेगी ?

दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने विचारधारा की बात कही .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

सब आप ही पूछ लेंगे, मा0 टण्डन जी भी तो कुछ पूछेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरा संशोधन था, मैं परसीमन आयोग की बैठक में दिल्ली गया था, मुझे अधिकार प्राप्त है कि मैं पूछूं। अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुये हैं, डा0 राम मनोहर लोहिया का मैं भी आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, उस विचारधारा के हम सभी समर्थक हैं। चित्रकूट में वहां पर राष्ट्रीय रामायण मेला लगता है, हम लोगों की सरकार थी तो राष्ट्रीय रामायण मेले के लिए 5 लाख रुपया दिया जाता था, दो वर्षों से जब से समाजवादी पार्टी की सरकार है तो मात्र डेढ़ लाख रुपया ही दिया जा रहा है, यह बहुत कम एमाउण्ट है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी धनराशि दें जिससे राष्ट्रीय रामायण मेला सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके, इस पर विचार कर लें।

आपने व्यापारियों के हित की बात की है। इधर मैं दिल्ली में था, 15 मई, 2006 से इलाहाबाद के अन्दर अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। मैं इस अभियान का विरोधी नहीं हूं। अतिक्रमण विरोधी दस्ता 11.30 बजे जाता है, व्यापारी संघ उसका सहयोग कर रहे थे।

नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

क्या स्पष्टीकरण इसे कहते हैं ? यह तो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, अपनी बात भी कम से कम हाईकोर्ट से शुरू करते हैं, लोअर कोर्ट कभी देखा नहीं। मान्यवर, इनका तो नेता विरोधी दल से भी लम्बा भाषण हो गया।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, वहां व्यापारी आन्दोलित हैं।

श्री अध्यक्ष-

समय कम है बार-बार आपको टोक रहा हूं, यह तो भाषण हो गया, स्पष्टीकरण पूछिये, डेढ़ लाख और पांच लाख का मामला तो आपने यहां भी उठाया था।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है वह न हो इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप व्यापारियों का उत्पीड़न बता रहे हैं। व्यापारियों का जहां उत्पीड़न की शिकायत मिली है, अगर नहीं सही है, तब भी उत्पीड़न नहीं होगा। दूसरी बात है कि किसी को अपराधी केवल मुकदमा दर्ज होने से नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जायेगा जब तक उसको सजा न हो जाये। यह बात आप क्यों कह रहे हैं ? वह मैं पहले ही कह चुका हूं। जो सूचियां भेजी जा रही हैं, उच्च न्यायालय उसे देख रहा है। उच्च न्यायालय के सम्मान में हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने यही कहा है, जनता जिसे कहती है वह माफिया है। गुण्डों और माफियाओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने, गवाही देने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती

है। आप सूची दें, हमारी सरकार की हिम्मत है, हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही करके दिखा दिया। यह क्या मामूली बात है कि हमने 5700 करोड़ रुपये की जमीन गाजियाबाद में माफियाओं से छुड़ा लिया और उन्हें जेल में डाल दिया है। कहीं कोई कह सकता था कि कौन माफिया है और कौन से लोग सहयोगी है ? कभी समय मिले तो सूची देख लेना। जहां तक रामायण मेले का सवाल है, इसमें भाषण देने की क्या बात है ? जहां आप ढ़ाई लाख देते थे हमने 5 लाख दिये हैं और दे रहे हैं। यह कोई बात नहीं है, इस बार नहीं दे पाये होंगे। दूसरी बात आपने मुरादाबाद के रामलीला मैदान के बारे में कितनी कोशिश की थी। क्या उस बेचारे एम0एल0ए0 को लोगों ने ऐसे ही वोट दे दिया ? देखो जाकर यह किस तरह का मैदान बना कर दिखा दिया और किसने बनाया ? उसने बनाया जो मुसलमान है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, अगर यह बात थी तो आप लिख कर दे देते, ऐसे ही कर देता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं, आपने भाषण दिया था, मुख्य मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक छोटा सा स्पष्टीकरण मैं भी करना चाहता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मुझे एक स्पष्टीकरण कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने पूरा भाषण दिया है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक-एक प्वाइन्ट का जवाब भी दे दिया है। मा0 प्रमोद जी आप क्या कहना चाहते हैं।

(शोर)

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मा0 मुख्य मंत्री जी जब अपना उत्तर दे रहे थे, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे थे तो उसमें एक पेज कागज कहीं छूट गया है या आजम खां ने उसे दबा लिया है। मुझे लगता है कि एक कागज मिसिंग है मुख्य मंत्री जी के जवाब में। मा0 अध्यक्ष जी आप याद करें लोग कहते हैं कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है जब आप पढ़ते थे तो बहुत तेज बुद्धि के थे। आपको बहुत जल्दी स्मरण हो जाता था। आप बहुत तेज थे, तो मान्यवर, एक कागज कहीं छूट गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण पर कहा था कि अभी रहने दीजिये जब राज्यपाल का अभिभाषण आयेगा तब हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास के बारे में बात करेंगे। मान्यवर, वह समय आ गया है राज्यपाल के अभिभाषण का। माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में यह कहा जाता है कि वह जो कह देते हैं उससे मुकरते नहीं हैं। आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि मुकरेंगे नहीं। कुछ कठिनाई हो सकती है। मान्यवर, मैं बाजार भाव नहीं पढ़ता लेकिन टण्डन जी के साथ रहते-रहते बहुत कुछ सोहबत का

असर हो गया है। टण्डन जी भी इस बात से सहमत होंगे कि सीमेन्ट का दाम कितना बढ़ गया है, 20-25% बढ़ गया है। लोहे का दाम 25-30% बढ़ गया है। ईंट का दाम 30-35% बढ़ गया है। लेबर का दाम भी बढ़ा है। मौर्या जी भी इस बात से सहमत हैं कि लेबर के दाम बढ़े हैं। मान्यवर, कुल मिलाकर अगर देखा जाय तो 25-30% दाम बढ़े हैं। मान्यवर, जो विकास कार्य हैं, आप जैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं वह कैसे बनेगा, अगर मंहगाई के कारण काम अधूरे रह जायेंगे तो काम अधूरा होगा, काम हमेशा पूरा होना चाहिए। मान्यवर, आपने 7 कि0मी0 के बारे में कहा था, उसके लिये आदेश जारी हो गया है। मान्यवर, इनमें और आपमें एक फर्क है। यह जो कहते हैं वह करते हैं लेकिन यह जो करते हैं वह कभी कहते नहीं हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप जो कहेंगे वह जरूर करेंगे इसलिये मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, आजम साहब को भी स्मरण होगा और पूरे सदन को स्मरण होगा। आपने कहा था कि इस समय जाने दो बजट सेशन है, जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा तब हम इसे बढ़ाने के लिये सोचेंगे, बढ़ाने के लिये घोषणा करूंगा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं अपने लिये कुछ नहीं कर रहा हूं आपकी प्रतिष्ठा के लिये कह रहा हूं। आपने जो कहा है वह नहीं हो पायेगा तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। मैं आपकी प्रतिष्ठा के लिये कहना चाहता हूं कि यह जो निधि है इसको 1 करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपया कर दिया जाय तो निश्चित रूप से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। विधायक की नजर वहां जाती है जो उसके घर में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है। जो जिले में बैठते हैं वह जिले को देखते हैं, जो प्रदेश में बैठते हैं वह प्रदेश को देखते हैं लेकिन हमारी नजर निर्वाचन क्षेत्र में वहीं जाती है जहां विकास कार्यों की आवश्यकता होती है। तो मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इसको एक करोड़ 50 लाख रुपया, क्षेत्र विकास निधि कर दें तो इससे आपका वह सपना पूरा होगा और सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास होगा।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ आपने एक छोटी सी बात कही थी कि हम इस पर बात करेंगे विधान सभा सदस्यों के साथ एक अंगरक्षक होता है, एक सीमा होती है वह 10-12 घण्टे ड्यूटी करता है। उससे आप 24 घण्टे ड्यूटी की बात नहीं कर सकते। ज्यादातर सदस्यों के पास, हम लोगों के पास एक से ज्यादा अंगरक्षक हैं लेकिन जिन सदस्यों के पास नहीं हैं अगर वह लेना चाहें तो 12-12 घण्टे और 6-6 घण्टे की ड्यूटी बांध दी जाय और दो बार में की जाय, अगर दो अंगरक्षक हो जायें तो एक अगर छुट्टी पर चला जाता है तो दूसरा उपलब्ध रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह बात जो हमने कही है यह चाहे आप बाद में कर दीजियेगा पर यह बात जो डेढ़ करोड़ वाली बात है इसको जल्दी कर दें। इसमें मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि चुनाव का वक्त है 8-9 महीने रह गये हैं और 8-9 महीने हर अच्छे काम में लग ही जाते हैं। आप जो करेंगे तो इतना टाइम तो लग ही जायेगा उसका परिणाम आते-आते तो मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि इसको कर दें। दूसरा मान्यवर, लिफ्ट आपरेटर्स के बारे में घोषणा की थी कि इनको जो संशोधित पौष्टिक आहार भत्ता है उसको आपने 350 से 550 करने की बात कही थी। यह कहीं रुका हुआ है उसका कर दें। लेकिन आप 4 में से एक कर दीजिए। मेरे ख्याल से आज इसी तक सीमित रखा जाय केवल विधायक निधि बढ़ जाय तो उचित होगा। मान्यवर, आप देख लें अगर सदन की भावना हो, आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक विधि में भावनाओं के अनुसार

चलना चाहिये, मैं तो गरीबों की बात कर रहा हूं क्योंकि विधायक लोग हमेशा उसकी तरफ देखते हैं जो गरीब होता है। गरीब की आवाज विधायकों के माध्यम से यहां आयी है। आपसे मेरा प्रबल एक अनुरोध है, प्रबल आग्रह है कि कृपया इसे एक करोड़ से डेढ़ करोड़ अवश्य कर दें। अगर कर देंगे तो इससे प्रदेश का विकास होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय माननीय प्रमोद कुमार जी हर सत्र में मांग लेते हैं। मैं एक बात का जवाब नहीं दे पाया था। जहां तक अभिभाषण की बात है, सम्पूर्णानन्द जी ने सी0 बी0 गुप्ता जी ने सबकी सूची मेरे पास है कि बजट के बाद, बजट फरवरी में हुआ है, उन्होंने मई में जुलाई में अभिभाषण कराये हैं राज्यपाल जी से। जहां तक निधि बढ़ाने का सवाल है, न हम इन्कार कर रहे हैं न घोषणा कर रहे हैं क्योंकि अभी संसाधन हमने जुटाये हैं, जो आपने 7-7 कि0 मी0 सड़कों की बात की थी। हम अगला सत्र बहुत जल्दी फिर बुलायेंगे जुलाई में। तब तक हम कोशिश करेंगे। संसाधन बढ़े तो हम कुछ जुलाई में आपको बढ़ा देंगे। यह हमारी कोशिश होगी। एक प्रार्थना है, जो 7 कि0मी0 सड़क का प्रस्ताव है वह तीन दिन के अन्दर दे दीजिए। 30 जून तक मिट्टी हो जायेगी वरना सब बह जाएगी। अगर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा तो फिर खुद जगह आपके क्षेत्र की ही चयनित कर ली जाएगी और सड़क बना दी जाएगी। यह गम्भीर बात है इसलिए कह रहा हूं। पिछले साल जो 10-10 गांव दिए गए थे, वह मार्च तक दिए गए थे। उसमें कितना रुपया खर्च नहीं हो सकता था ? अगर 25 मई तक आप लोगों ने सड़क के प्रस्ताव नहीं दिए तो पी0डब्लू0डी0 मंत्री स्वयं चयनित करके सड़क बनवा देंगे। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को आज ही आदेश चला जायेगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जो बिन्दु मैंने आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किए थे उसमें एक का भी उत्तर मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया। सारी राजनीतिक बातें आई हैं। इसके लिए यह ही कह सकते हैं कि हम तो जानते हैं कि जन्नत की हकीकत क्या है दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जो बातें उन्होंने कही हैं उनके संतोष के लिए अच्छी हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

दिल को बहलाने को यह ख्याल अच्छा है आपने यह नहीं कहा यह चौक वाला है चौक के मुजरे वाला।

श्री लालजी टण्डन-

यह ख्याल आपके पड़ोस के लिए है। मान्यवर, कुछ चीजों के बारे में बिल्कुल भी संवेदना व्यक्त नहीं की गई। जैसे कल ही ई0 टी0वी0 ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चपरासी से लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा किस तरह से पैसा लिया जाता है पैसा लेते हुए दिखाया है किस तरह से चपरासी पैसा लेता है तब वह बाबू के पास जाता है बाबू किस तरह से पैसा लेता है इसके बाद उससे बड़ा अधिकारी किस तरह से पैसा लेता है यह सब दिखाया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप लिखकर दे दें। आपका जो पत्र जाता है उसमें उससे ज्यादा बेहतर राहत देते हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मैं लिखकर भेज दूंगा। आपने कहा कि आतंकवाद पर आप सहयोग नहीं कर रहे हैं ? कहां सहयोग नहीं कर रहे हैं ? आपके पास कोई योजना ही नहीं है हमारा सहयोग लेने की। आप तो केवल कुछ लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं लेकिन जो इस सदन की अपेक्षा है वह आपकी नहीं है क्योंकि कोई योजना आपके पास ऐसी नहीं है जिसमें सब लोग सहयोग करें। बिजली के बारे में कई बार बात हुई और हमने भी कहा कि चलिये सब दल के लोग चलते हैं, मैंने कहा कि यह राज्य के हित की बात है, हम लोग चलने को तैयार हैं लेकिन वो सारी बातें नहीं हो रही है। यह रोजा का जो पावर स्टेशन है काफी वर्षों से पेंडिंग है और वह अभी तक नहीं शुरू हुआ है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

ठीक है, यह अच्छी बात है। कल हमारी दिल्ली में बैठक है मंत्री जी के साथ 5.30 बजे। उसमें आप भी चलिये। जगदम्बिका पाल जी होंगे, नरेश जी होंगे, मौर्य जी से भी कह देंगे। आप भी रहियेगा। मैं तैयार हूं, आप सबका सहयोग चाहिये। आतंकवाद के मुद्दे पर भी मीटिंग बुला लेंगे।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, कुछ विधायकों को यह शिकायत है कि जिला स्तर पर वहां दलीय आधार पर काम हो रहा है। जैसा संत कबीरनगर के विधायक बता रहे हैं (व्यवधान) मैं जो कहता हूं उसको प्रमाण के साथ कहता हूं। संत कबीरनगर के विधायक बैठे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल आप उनसे कहिये कि वे लिखकर दे दें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आपने इतना सहयोग दिया है तो थोड़ा और कर दीजिए। माननीय विधायक लिखकर दे दें, हम देख लेंगे। आपको पता है कि मुझे कहीं जाना है इसीलिए कहा था कि इसको जल्दी खत्म कर दें।

श्री अध्यक्ष-

महामहिम राज्यपाल महोदय के ....

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, टण्डन जी ने संशोधन वापस ले लिया कि नहीं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह परम्पस रही है कि आप पूछेंगे कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं कि नहीं ? मान्यवर, उस परम्परा का तो निर्वाह कीजिए।

श्री अध्यक्ष-

टण्डन जी, आप वापस लेंगे ?

(माननीय टण्डन जी के कुछ न बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर जायं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, परम्पराओं का पालन करवाइये। माननीय नेता विरोधी दल ने अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लिया है, तो इनके प्रस्ताव को गिरवाइये तो।

श्री अध्यक्ष-

अभी वही तो कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, बड़ी विडम्बना यह है कि नेता विरोधी दल ही कह सकते हैं, बोल सकते हैं अपना भाषण। अभी क्या है उनकी अपनी जबान है लेकिन बाजपेयी जी मुस्तकिल अपनी जबान नेता विरोधी दल के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपत्तिजनक है मान्यवर, हुआ यह कि अभी आपने नेता विरोधी दल से पूछा कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं। मैं कम गलत बयानी करता हूं, आपके मामले में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। टण्डन जी ने इधर देखते हुए निगाहों से कहा कि ले लेता हूं इस पर इन दोनों साहिबान ने कहा कि नहीं-नहीं। यह डांट रहे थे। अगर उन्हें प्रस्ताव वापस लेना है तो वह बाजपेयी जी की जबान से वापस नहीं होगा, नेता विरोधी दल स्वयं कहें।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद-प्रस्ताव में माननीय नेता, विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन-प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु खेद हैं कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है:--

1-प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए अपराध, अपहरण, हत्यायें तथा जनता में व्याप्त भय और आतंक के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था को ठीक करने की योजना के सम्बन्ध में,

3-मेरठ में हुए अग्निकाण्ड के पश्चात् घटना स्थल पर लाशों के छुपाने के उद्देश्य से बुलडोजर चलाये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में हो रहे प्रायोजित साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में बढ़ रही कमरतोड़ मंहगाई के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

7-बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा की जा रही अनाज की जमाखोरी के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के खिलाफ एक काबीना मंत्री द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के सम्बन्ध में,

9-जनता को सुरक्षा तथा आत्म-सम्मान की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

10-जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से जन-सामान्य को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए उसे रोकने की योजना के सम्बन्ध में,

11-सरकार द्वारा की जा रही फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

12-राज्य कर्मचारियों को अवकाश, नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

13-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे तबादलों से प्रभावित हो रहे काम-काज के संबंध में,

14-लेखपाल संवर्ग को तकनीकी संवर्ग में मानने के उपरान्त भी वेतन वृद्धि न किये जाने के संबंध में,

15-प्रदेश में नकली, मिलावटी, घटिया स्तर तथा स्मगलिंग के जरिये होने वाली खरीद फरोख्त को पूरी तरह से बन्द न करने के संबंध में,

16-महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्ययोजना के संबंध में,

17-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के संबंध में,

18-प्रदेश में हो रही नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त रोकने के संबंध में,

19-पुलिस द्वारा जुल्म और उत्पीड़न की जांच की प्रक्रिया को बदलकर पुलिस उत्पीड़न की जांच पुलिस द्वारा न कराकर किसी अन्य विभाग से कराये जाने के संबंध में,

20-पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न करके लोकतंत्र की हत्या किये जाने के संबंध में,

21-भ्रष्टाचार में व्याप्त एवं घूस लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में,

22-शासन द्वारा की जा रही नियुक्तियों में खुले आम घूस लेने के संबंध में,

23-खाद्य पदार्थ जिनमें दुग्ध उत्पाद, तेल उत्पाद एवं अन्य जिन्स की नियमित जांच न कराये जाने के संबंध में,

24-पुलिस द्वारा भ्रष्ट आचरण किये जाने तथा पकड़े जाने के उपरान्त भी कठोर कार्यवाही न किये जाने के संबंध में,

25-प्रदेश में आ बसे बांगलादेशियों को निकाले जाने के संबंध में,

26-आतंकवाद समर्थक सिमी पर पुनः प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में।''

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो यह संशोधन माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है, उससे जो माननीय सदस्य सहमत हो 'हां' कहे और जो मा0 सदस्य सहमत नहीं हैं 'नहीं' कहें। चूंकि 'नहीं' की संख्या अधिक है इसलिए संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किए हुए माने गए हैं अस्वीकृत माने जाएंगे। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 11 मई, 2006 को दिया है कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मेजें थपथपाई गई)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम-301 की एक सूचना का उत्तर 5 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अप्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है चौदहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र में 21-12-05 से 29-3-06 तक नियम-301 के अन्तर्गत हमारी चार सूचनायें थीं इसमें मेरी 44 क्रमांक पर एक ग्राह्य सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

प्रदेश के स्कूल कालेजों में खेलों को बढ़ावा देने की योजना के सम्बन्ध में पांच महीने हो गए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य गण माननीय मुख्य मंत्री जी चेम्बर में जाएं तब मिलें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपका कहना यह है कि यह सूचना 30 दिन के अन्दर और कुछ बढ़ाकर कर दिया गया लेकिन पांच महीना हो गया है इनको उत्तर नहीं मिला है इसको आप दिखवा ले जों अधिकारी दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही करके अवगत करायें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

ठीक है।

मद संख्या-2 पर मुझे भी बोलना है।

श्री अध्यक्ष-

आप मद संख्या-2 रखना चाहते हैं रख दें।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ के विचार एवं पारण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, जो सदन के पटल पर रखा जा चुका है को विचार और पारण के लिए आज ही ले लिया जाए ?

श्री अध्यक्ष-

अभी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक के बाद इसको लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, मैंने यह प्रस्ताव रखा है, सदन इसकी अनुमति दे देगा तो इसके लिए कार्य-मंत्रणा समिति की औपचारिकता समाप्त हो जायेगी।

श्री सलिल विश्नाई-

मान्यवर, पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी कि शहरी विधायकों को बिजली के लिए 25-25 लाख रुपये दिये जायेंगे लेकिन 25 रुपये भी नहीं दिये गये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

एक मद खत्म हो जाए, तब दूसरी लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह पहली बार होने जा रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, यह कोई पहली नजीर नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

नजीर तो पहली ही है।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

कितनी बार आपने किया है। मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति से सदन ऊपर है।

श्री अध्यक्ष-

यह एजेण्डे में नहीं जुड़ा है, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक के बाद नया एजेण्डा बनाकर इसे पारित करा देंगे। यह एजेण्डा में आया नहीं है, 5 मिनट लगेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, जैसा चाहें लेकिन इसमें कोई अनियमितता तो है नहीं। विधान परिषद् में पारित हो चुका है। विधान सभा में पारित होना है।

श्री अध्यक्ष-

हम इसके बाद कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक कर लेते हैं, फिर एक अलग से एजेण्डा बन जायेगा, 2 मिनट लगेगा, सब हो जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, स्थिति यह है कि यह विधान परिषद् से पारित हो चुका है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जब विधान सभा में आयेगा तब होगा।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, इसी से तो सदन को अवगत कराना है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप जो चाहें करें, यह 5 मिनट में हो जायेगा। मुख्य मंत्री जी 10 मिनट लगेगा।

श्री सलिल विश्नाई-

अध्यक्ष जी, शहरी क्षेत्र के विधायकों को बिजली के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने सदन में की थी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष जी, इस पर सरकार का ध्यान तो आकृष्ट करा दें।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, एक विधायक जी का मसला है, मान्यवर, दो मिनट मेरी बात सुन लें, कृपया इस पर व्यवस्था दे दें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, कृपया नियम 228 देख लें। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अनुसार नियम 228 में दिया है कि सदन द्वारा विनिश्चित समय-सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि सदन नेता द्वारा प्रार्थना न की जाये और उस दशा में वह मौखिक रूप से सदन को अभिसूचित करेंगे कि ऐसे परिवर्तन के लिए सामान्य सहमति है और अध्यक्ष सदन का अभिप्राय जानकर उस परिवर्तन को प्रवर्तित करेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और जो सदन के पटल पर रखा जा चुका है, को दिचार एवं पारण के लिए आज ही ले लिया जायें ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और जो सदन के पटल पर रखा जा चुका है, को विचार एवं पारण के लिए आज ही ले लिया जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है पर विचार किया जाये ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (ख) निकाल दिया जाएगा।

धारा 3 एवं 4 का निकाला जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 3 और 4 निकाल दी जाएगी।

धारा 28 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 28 में शब्द "बोर्ड तथा परिषद्" जहां भी आए हों, के स्थान पर शब्द "परिषद्" रख दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाये ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

फिरोजाबाद में विधायक निधि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनपद फिरोजाबाद के विधायक हैं। उन्होंने वर्ष 2006-07 में विधायक निधि का प्रस्ताव दिया और दिनांक 08-05-06 को सी0डी0ओ0 ने स्वीकृत किया और कार्यदायी संस्था को दिनांक 14-05-06 को दे दिया। दिनांक 16-05-06 सी0 डी0 ओ0 ने काम रोकने का आदेश दे दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उस आदेश के लिखित अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता आर0ई0एस0 कहते हैं कि आपका काम रोक दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप मुझे लिखकर दे दीजिए। मैं सम्बन्धित मंत्री को बुलाकर परामर्श कर लूंगा और जो भी सहयोग होगा वह आपको दिलाया जायेगा।

मुजफ्फरनगर पुलिस के विरुद्ध कुँवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना को लिए जाने की मांग

कुँवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरी एक विशेषाधिकार की सूचना है। मान्यवर, 23 फरवरी को मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिला मुजफ्फरनगर की पुलिस ने.....

श्री अध्यक्ष-

आपने नोटिस दी है।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैंने लिखकर दी है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपने दी है तो उसका परीक्षण होगा तब उस पर कार्यवाही होगी। आप बैठ जायें।

इलाहाबाद स्थित आर0पी0 रस्तोगी इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद की आख्यानुसार दिनांक 5-5-2006 को संदीप कुमार त्रिपाठी.....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[पुत्र श्री उदय नारायण त्रिपाठी की तहरीरी सूचना पर थाना कैन्ट, जनपद इलाहाबाद में श्री उदय नारायण त्रिपाठी की गुमशुदगी अंकित की गयी। श्री संदीप कुमार त्रिपाठी द्वारा अपनी तहरीरी सूचना में यह अंकित कराया गया है कि श्री उदय नारायण त्रिपाठी दिनांक 04-5-2006 को समय 18.00 बजे अपने मकान से लाल जी चौधरी निवासी मुख्य चिकित्साधिकारी के बगल गली के पास पैसा लेने हेतु गये थे जो वापस घर नहीं लौटे। फोन से एवं उनके द्वारा स्वयं जाकर लाल जी चौधरी से मालूम किया तो ज्ञात हुआ कि पैसा लेकर 20.30 बजे वापस चले गये परन्तु घर नहीं लौटे। श्री उदय नारायण त्रिपाठी अपना बिना नम्बर का बजाज स्कूटर साथ ले गये थे और उनके पास उनका मोबाइल मौजूद था जो बन्द है। उक्त सूचना पर गुमशुदगी अंकित की गयी। गुमशुदगी अंकित करने के उपरांत एस0ओ0जी0 की दोनों टीमें व थाना स्तर पर एक अलग टीम क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय एवं क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के निर्देशन में गठित करके जांच में लगाया गया। उनसे सम्बन्धित करीब 05 मोबाइल व पी0एन0टी0 टेलीफोन का सर्विसलांस पर लगाया गया जिनकी मानीटरिंग समय से की जा रही है।

जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रधानाचार्य श्री उदय नारायण त्रिपाठी अपने अन्य सहयोगियों जिसमें मुख्य रूप से महेश सिंह निवासी ग्राम रामपुर, थाना कल्याणभार, जनपद फतेहपुर व श्री रामेश्वर त्रिपाठी निवासी ग्राम इस्माइलपुर, थाना सोरांव, इलाहाबाद के साथ मिलकर माध्यमिक शिक्षा परिषद् चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती व पोस्टिंग कराते थे। महेश सिंह वर्तमान में रहकर ठेकेदारी करते हैं। उन्हें लखनऊ से बुलाकर पूछतांछ की गयी तो महेश सिंह द्वारा बताया गया कि अन्य लोगों से करीब 42 लाख रुपये लेकर काम कराया गया व 12 लाख 10 हजार रुपये अभी भी प्रधानाचार्य जी का काम कराने के वास्ते मेरे पास बकाया है तथा यह भी बताया कि मेरे पास ठेकेदारी में भी उनका पैसा लगा हुआ है। इसी प्रकार रामेश्वर त्रिपाठी द्वारा भी प्रधानाचार्य जी के सहयोग से करीब 08 लाख रुपया अन्य लोगों से लेकर कार्य कराया गया जिसमें अभी कुछ लोगों का बोर्ड में काम न होने पर लगभग डेढ़ लाख रुपया बकाया है। इस सम्बन्ध में डॉ0 नर्वदेश्वर मिश्र एवं कुन्दन सिंह तथा अवधेश नारायण शर्मा, सचिव, शिक्षा चयन बोर्ड, इलाहाबाद व जी0पी0 सिंह, श्री राजेश सिंह आदि से भी उक्त के सम्बन्ध में पूछतांछ की गयी।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्री उदय नारायण त्रिपाठी, प्रधानाचार्य की गुमशुदगी तरमीम कर मु0अ0सं0-44/06 धारा-365 भा0द0वि0 के तहत थाना कैण्ट, जनपद इलाहाबाद में दर्ज की गयी जिसकी विवेचना की जा रहीं है। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय एवं क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के निर्देशन में एस0ओ0जी0 प्रथम एवं द्वितीय की टीमें प्रधानाचार्य की सकुशल बरामदगी हेतु प्रयासरत हैं।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह मैंने नियम-56 में उठाया था। अभी हमें वक्तव्य की कापी नहीं मिली है। (कापी मिलने पर)

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इलाहाबाद में था, वहां पर छात्रों और शिक्षक ने चक्का जाम किया था। यह गम्भीर चिन्ता की बात है कि एक प्रधानाचार्य का अपहरण हो जाता है और अभी उसका अता पता नहीं लग पाया है। मैंने इसे काम रोको प्रस्ताव में भी उठाया था कि उनकी मोबाइल पर तीन बार फोन आये, तो पुलिस ने अभी तक क्या किया है ? क्या प्रगति हुई है ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मुकादमा कायम है और विवेचना की जा रहीं है। मैं इतना बता दूं कि इस सिलसिले में पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।

जनपद बुलन्दशहर के थाना अगौता में डकैतों द्वारा फौजी जसवीर सिंह के घर पर डकैती डालने एवं उनकी हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुंशीलाल गौतम द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

प्रदेश में भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6(2) तथा मद संख्या-6(3) को स्थगित रखा जाता है।

विधान सभा के तृतीय सत्र 2005 के पहले बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2005 को डा0 अजय कुमार द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-42 के उत्तर के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-166(2) के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर कृत कार्यवाही की सूचना

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

डा0 अजय कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा तृतीय सत्र, 2005 के पहले बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-42 के उत्तर के सम्बन्ध में 'उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (बारहवां संस्करण)' के निदेश संख्या 165 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनांक 23 नवम्बर, 2005 के सम्बन्ध में निदेश संख्या 166(2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं संशोधित उत्तर।

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
42-क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि	जी हां, जनपद बागपत के जागौस गांव	जी हां, जनपद बागपत के जागौस गांव	प्रश्नगत प्रकरण में त्रुटिपूर्ण टंकण के लिए

1	2	3	4
जनपद बागपत के जागौस गांव में सितम्बर, 2005 में भयावह बुखार फैलने के कारण लगभग 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ?	में सितम्बर, 2005 में 05 लोगों की मृत्यु हुई थी।	में सितम्बर, 2005 में 05 लोगों की मृत्यु हुई थी।	टंकक को चिकित्सा अनुभाग-8 के आदेश संख्या-18 (1)/पांच-8-2006, दिनांक 16 जनवरी, 2006 द्वारा लिखित रूप से भविष्य के लिए सचेत करते हुए इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न करने के आदेश दिये गये हैं।
यदि हां, तो क्या पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई ?	जी हां।	जी नहीं।	
यदि नहीं तो क्यों ?	इन रोगियों की मृत्यु ज्वर के कारण हुई थी। अतः साधारण ज्वर के रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।	इन रोगियों की मृत्यु ज्वर के कारण हुई थी। अतः साधारण ज्वर के रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।	

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2006 को नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी इसमें हम आप बात कर लेंगे इसे अगले सत्र तक के लिए स्थगित रखते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ठीक है।

प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित रहेगी।

विधायक के भांजे की मृत्यु के सम्बन्ध में श्री रिजवान अहमद खां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद भी स्थगित रहेगी।

जनपद प्रतापगढ़ की सदर तहसील के व्यापारी के मकान पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़.....,

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा माना जाता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना लिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[आख्यानुसार जिस जमीन पर नये निर्माण की बात कही जा रहीं है, यह जमीन श्री धीरेन्द्र नारायण चड्ढा व अमरेन्द्र नारायण चड्ढा की दर्शाया गयी है और इस पर इनके द्वारा अवैध निर्माण करने के कारण अवैध निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही में धारा-10 आर0पी0ओ0 एक्ट-1058 के अन्तर्गत चालान नोटिस दि0 02-3-06 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका द्वारा निर्गत की गयी है जो न्यायालय विहित प्राधिकारी के यहां विचाराधीन है। श्री अमर केसरवानी आदि का मकान सिविल लाइन्स करनपुर खास में गाटा संख्या-57 जो नान जेड0ए0 आबादी की भूमि में है, स्थित है। इसी से लगी हुई उत्तर तरफ ग्राम वेल्हा घाट की गाटा संख्या-579 नजूल भूमि का अंश पड़ता है। सम्पूर्ण क्षेत्र आबादी से आच्छादित है तथा भूमि के सम्बन्ध में सभी अधिकार सिविल न्यायालय में निहित हैं, जहां पीड़ित पक्ष अपना पक्ष, नियमानुसार प्रस्तुत कर सकता है।

जहां तक श्री अमर केसरवानी को मोबाइल फोन नम्बर-9415229851 से उन्हें धमकी दिये जाने का प्रकरण है, इसके सम्बन्ध में जिला प्रबन्धक, दूर संचार को (प्रतापगढ़) इस मोबाइल फोन के स्वामी की जानकारी हेतु पत्र भेजा गया है, सूचना अभी अपेक्षित है।

श्री केसरवानी द्वारा अपनी सुरक्षा की आशंका व्यक्त की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में उनके साथ दो सशस्त्र आरक्षी लगाये गये हैं।

श्री केसरवानी की बाउण्ड्री वाल गिराये जाने की बात गलत है।]

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरे पास आपका जवाब नहीं है इसलिए मैं अंदाजे से पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी एक स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि नगर व्यापार मण्डल के अध्यक्ष श्री केसरवानी के मकान पर जो लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, उस पर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगें, मैं सिर्फ इस बात का सरकार से आश्वासन चाहूंगा।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसमें समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद आजमगढ़ में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, माननीय सदस्य द्वारा.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दिनांक 15-5-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता न होने के कारण प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति जनपद आजमगढ़ में भी विद्युत कटौती निर्धारित की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घण्टे एवं आजमगढ़ नगर मण्डल का मुख्यालय होने के कारण प्रतिदिन 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है। निर्धारित विद्युत आपूर्ति कराये जाने के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं परन्तु विद्युत की उपलब्धता में और कमी हो जाने से निर्धारित से अधिक विद्युत कटौती कराना प्रणाली की सुरक्षा हेतु अपरिहार्य हो जाता है। इस वर्ष माह अप्रैल में एक ओर अप्रत्याशित तापमान में वृद्धि होने के फलस्वरूप विद्युत की मांग में बढ़ोत्तरी तथा दूसरी ओर केन्द्रीय विद्युत गृहों एवं प्रदेश की कुछ प्रमुख इकाइयों के बन्द हो जाने के कारण विद्युत की उपलब्धता में कमी होने से विद्युत की मांग एवं विद्युत की उपलब्धता में अन्तर और बढ़ जाने से प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति जनपद आजमगढ़ में निर्धारित से अधिक विद्युत की आपात कटौती कराना अपरिहार्य हो गया था। माह मई, 06 के प्रथम सप्ताह के उपरान्त से विद्युत की मांग में कमी एवं विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी हो जाने से सभी जनपदों में विद्युत की आपूर्ति में सुधार हो गया है। माह मई, 06 के अन्त तक केन्द्रीय विद्युत गृहों की बन्द पड़ी कुछ और प्रमुख इकाइयों के चालू होने की सम्भावना है जिसके उपरान्त जनपद आजमगढ़ सहित प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित विद्युत आपूर्ति कराये जाने के यथासम्भव प्रयास किये जायेंगे।]

मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ में भूख से हुई मौतों के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बागपत के छपरौली में आये भीषण चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह दोनों मदें स्थगित रहेगी।

गोरखपुर दीवानी कचहरी में अधिवक्ता भवन ढह जाने से मजदूरों की हुई मौत के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद गोरखपुर में दीवानी न्यायालय परिसर में ....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[50 अधिवक्ता कक्षों के निर्माण हेतु 46.15 लाख रु0 की राशि विगत वित्तीय वर्ष 2005-2006 में स्वीकृत की गई थी। उक्त अधिवक्ता कक्षों का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के द्वारा कराया जा रहा है।

2-दिनांक 2-4-2006 को उक्त अधिवक्ता कक्षों को निर्मित किये जाने वाला एक भाग गिर गया था, जिसके फलस्वरूप 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। इनमें से एक मजदूर श्री बब्लू पुत्र श्री प्रभु निवासी लक्ष्मीपुर, थाना-कप्तानगंज, जिला-कुशीनगर का निधन मौके पर ही हो गया था जबकि एक अन्य मजदूर श्री धीरेन्द्र पुत्र श्री नारायन गौड़, निवासी लक्ष्मीपुर, थाना-कप्तानगंज, जिला-कुशीनगर का निधन अस्पताल में हुआ था। इस घटना में 4 मजदूर घायल भी हुये थे जिन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात् छोड़ दिया गया था। उक्त घटना के संबंध में मु0 अ0 संख्या 587/2006 धारा-279, 337, 338, 504 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना-कैण्ट, जनपद गोरखपुर में दिनांक 2-4-2006 को दर्ज की जा चुकी है। निर्माण में हुई अनियमितता के संबंध में प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम, गोरखपुर को निलम्बित किया जा चुका है।

3-उक्त अधिवक्ता कक्षों के निर्माण के मामले में जिलाधिकारी, गोरखपुर के स्तर से भी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता से जांच कराई गई थी, इसमें उक्त निर्माण कार्य मानक के अनुरूप पाया गया था।

4-उपरोक्त घटना में मृतक मजदूरों के परिवारों को उचित मुआवजा दिये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, कुशीनगर को पत्र लिखा जा चुका है, मृतक के आश्रितों को नौकरी देने के सम्बन्ध में औचित्य नहीं पाया गया।]

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कन्नौज में दलितों पर हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थिति विकास खण्डों के ग्रामों से संक्रमित पेयजल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह दोनों मदें स्थगित रहेंगी।

जनपद बलिया के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भरत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय विधायक द्वारा जनपद बलिया में द्वाबा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन को.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[को जाने वाली सड़क पर गड्ढों एवं कीचड़ के कारण दुर्घटना होने तथा बार-बार ध्यान आकृष्ट कराये जाने के बाद भी मरम्मत न कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रमुख अभियन्ता (विकास), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से उक्त कार्य के आगणन गठित कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। आगणन प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद भदोही स्थित ज्ञानपुर तथा औराई अग्निशमन केन्द्रों पर गाड़ी व कर्मचारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रंग नाथ मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

जनपद चित्रकूट के थाना मऊ में श्री बच्ची लाल प्रधान के साथ मार-पीट करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह दोनों मदें स्थगित रहेगी।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शाहजहांपुर की पुवायां चीनी मिल द्वारा कर्मचारियों को विगत तीन वर्षों से बकाये का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल, ...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार सहकारी चीनी मिल पुवायां के कर्मचारियों का अब तक निम्न से वेतन आदि देय है :-

क्रमांक	मद	धनराशि (लाख रुपये में)
1	वेतन	199.12
2	भविष्य निधि	229.17
3	ग्रेच्युटी/अवकाश	128.76
4	बोनस	12.33
5	रिटेनिंग एलाउंस	70.00
6	ओवर टाइम	14.85
	कुल योग	654.23

2-सहकारी चीनी मिल पुवायां की वित्तीय स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण चीनी मिल संबंधित कर्मकारों के देयों का भुगतान नहीं कर सकी है।

मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0-7772/2006 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21-2-2006 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संबंधित याची का प्रत्यावेदन दिनांक 9-1-2006 संघ के आदेश दिनांक 18-4-2006 के द्वारा निस्तारित करते हुये प्रधान प्रबंधक, सहकारी चीनी मिल पुवायां को पुनः जांच व सत्यापन कर भुगतान के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 654 लाख रुपया पुवायां चीनी मिल के कर्मचारियो का बकाया है, इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट में रिट भी हो चुकी है और हाईकोर्ट का मान्यवर, निर्देश भी आ चुका है लेकिन अभी तक यह भुगतान नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी बता दें कि इन कर्मचारियों के रुपयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें वेतन मद में 199.12 लाख, भविष्य निधि-229.17, ग्रेच्युटी/ अवकाश-128.76, बोनस-12.33, रिटेनिंग एलाउंस-70.00 और ओवर टाइम-14.85 लाख रुपये है इस तरह से कुल योग-654.23 लाख रुपये है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह भुगतान कब तक करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब हो गया, अब हम अगली मद ले रहे हैं।

कानपुर नगर स्थित श्री रमाकान्त त्रिपाठी, अवर अभियन्ता की हत्या से संबंधित हत्यारों का पर्दाफाश न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर

मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जा पढ़ा हुआ माना गया)।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[श्री राकेश सचान, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा, ...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में मुख्य रूप से दिनांक 24-10-05 को श्री रमाकान्त त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, लघु उद्योग विकास निगम, कानपुर की अज्ञात हत्यारों द्वारा की गई हत्या की जांच कराये जाने, हत्यारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर से प्राप्त सूचनानुसार अवगत कराना है कि श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय पुत्र हरिचरण पाण्डेय द्वारा दिनांक 24-10-2005 को सूचना दी गई कि उनके साले रमाकान्त त्रिपाठी का एक्सीडेन्ट से पीठ में घाव होने एवं खून रिसाव होने के दौरान प्रिया नर्सिंग होम में मृत्यु हो गई है। वादी की उपरोक्त सूचना दिनांक 24-10-2005 को मु0 अ0 सं0 439/05 धारा 304 भा0 दं0 वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 10-05-2006 को अभियुक्त रियाज पेड़ा पुत्र निसार निवासी हरिमन का पुरवा, थाना बेकनगंज का नाम प्रकाश में आने पर उपरोक्त अभियोग धारा 304 भा0 दं0 वि0 से 302 भा0 दं0 वि0 में तरमीम किया गया। अभियुक्त के गिरफ्तारी का प्रयास जारी है और विवेचना प्रचलित है।]

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ नगर निगम में नियमित नगरायुक्त एवं विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष का पद स्थापित न होने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिये जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि मेरठ महानगर का विकास एवं जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का शासन, जनप्रतिनिधि एवं कार्यपालिका का दायित्व निर्वहन पिछले कई माह से बाधित है। उसका एक मात्र कारण मेरठ नगर निगम में नियमित नगर आयुक्त एवं मेरठ विकास प्राधिकरण में नियमित उपाध्यक्ष का पदस्थापित न होना जिसके कारण मेरठ नगर निगम एवं मेरठ विकास प्राधिकरण का कार्य ठप्प हो गया है। इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नियुक्ति विभाग द्वारा नगर निगम, मेरठ में नगर आयुक्त, श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाहा की तैनाती कर दी गयी है। अतः नगर निगम में लम्बित कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी। अन्य बिन्दु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से संबंधित है। अतः उक्त के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।]

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, 15 दिन हो गये हैं उनकी नियुक्ति हुए लेकिन उन्होंनें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो उन्हें आप कब तक ज्वाइन करा देंगें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अब यहां से नियुक्ति हो गई है, ज्वाइंन भी जल्द ही करा देंगें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं भी माननीय मंत्री जी से कह देता हूं कि वह जल्दी ज्वाइन करा देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वह तो मान्यवर मैं कह ही रहा हूं कि जल्दी ज्वाइन कर देंगें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर विधान सभा क्षेत्र में पल्स पोलियो दिवस पर प्राथमिक अधिकारियों के उपस्थित न होने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री के अद्यावधिक वक्तव्य का स्थगन

जनपद सन्तकबीर नगर के तहसील घनघटा के ग्राम-सुवखरी स्थित कालिका प्रसाद महर्षि विद्या मंदिर के भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से स्वीकृत धनराशि कि बाद भी निर्माण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह दोनों मदें स्थगित रहेंगी।

मेरठ महानगर के पेयजल संकट को देखते हुए सिंचाई विभाग से 300 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मेरठ महानगर के पेयजल संकट के समाधान का एक मात्र मार्ग केवल भोले की झाल से जल लेकर शुद्धीकरण करके उपलब्ध कराना रह गया है...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[क्योंकि भू-गर्भ जल का संकट तो मुंह बाये खड़ा है, और अब उसका अधिक दोहन अनुचित है। मेरठ को सिंचाई विभाग से 300 क्यूसेक पानी की न्यूनतम उपलब्धता आवश्यक है। 4000 क्यूसेक पानी टिहरी से प्रथम चरण में 2007 में 30प्र0 को मिलना है। पेयजल की सर्वाधिक प्राथमिकता है। 200 क्यूसेक पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। लगभग 150 क्यूसेक नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा को दिया जा रहा है। 150 क्यूसेक रिलायन्स इनर्जी को दिया जाना प्रस्तावित व आवश्यक है 150 क्यूसेक पानी आगरा हेतु मांट ब्रांच नहर को दिया जाना है। 1000 क्यूसेक यमुना नदी में डाला जाना है।

टिहरी जलाशय को इस समय प्रथम बार भरा जा रहा है तथा इस वर्ष प्रस्तावित जल स्तर 740 मीटर तक जल भण्डारण किया जा चुका है। वर्षा काल में जलाशय को पुनः भरा जायेगा तथा

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

31 अक्टूबर, 2006 तक जल स्तर 768 मीटर, वर्ष 2007 में 785.50 मीटर, वर्ष 2008 में 804 मीटर, वर्ष 2009 में 818 मीटर, वर्ष 2010 में 827 मीटर व वर्ष 2011 में पूर्ण जल स्तर 830 मीटर तक भरा जाना प्रस्तावित है। इस अवधि में क्रमशः वर्ष 2006 में अतिरिक्त 868 क्यूसेक, 2007 में 1583 क्यूसेक, 2008 में 2462 क्यूसेक, 2009 में 3111 क्यूसेक, 2010 में 3766 क्यूसेक तथा वर्ष 2011 के बाद 4000 क्यूसेक अतिरिक्त जल की उपलब्धता होगी। इस प्रकार टिहरी जलाशय से वास्तविक रूप में 4000 क्यूसेक जल वर्ष 2007 में नहीं बल्कि वर्ष 2011 के बाद मिल पायेगा। इसमें से 3500 क्यूसेक जल का प्रयोग सिंचाई एवं 500 क्यूसेक जल पेयजल हेतु किया जाना है। पेयजल हेतु उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित 200 क्यूसेक जल में से विभिन्न जनपदों की पेयजल आवश्यकता का निर्धारण यथासमय सक्षम स्तर से निर्णयोपरान्त किया जायेगा।]

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इस वक्तव्य के सम्बन्ध में केवल इतना पूछना चाहता हूं, मैंने यह इच्छा वक्त की थीं कि मेरठ महानगर में सरफेस वाटर के लिए सिंचाई विभाग से हमको 300 क्यूसेक पानी मिल जाय, इस सरकार ने कहा कि 200 क्यूसेक पानी विभिन्न जनपदों की पेयजल आवश्यकता के लिए मिलेगा। मेरा यह कहना है कि मेरठ को न्यूनतम कितना पानी सरफेस वाटर के लिए उपलब्ध हो सकेगा, कृपा करके यह बता दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें मेरट को सिंचाई विभाग से 300 क्यूसेक पानी की न्यूनतम उपलब्धता आवश्यक है, 4000 क्यूसेक पानी टिहरी से प्रथम चरण में 2007 में उत्तर प्रदेश को मिलना है। पेयजल सर्वाधिक प्राथमिकता है। 200 क्यूसेक पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। लगभग 150 क्यूसेक नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा को दिया जा रहा है, 150 क्यूसेक रिलायन्स इनर्जी को दिया जाना प्रस्तावित है, 150 क्यूसेक पानी आगरा हेतु मांट ब्रांच नहर को दिया जाना है। 1000 क्यूसेक यमुना नदी में डाला जाना है। तो मान्यवर, जैसे ही उपलब्धता होगी, उस तरह आपको भी दिया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपने उत्तर में लिखा है कि पेयजल हेतु उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित 200 क्यूसेक जल में से विभिन्न जनपदों की पेयजल आवश्यकता का निर्धारण यथा समय सक्षम स्तर से निर्णयोंपरान्त किया जायेगा। तो मेरट की जो आवश्यकता है उसमें उसे कुछ मिल जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जैसे ही हमें उपलब्ध होगा ज्यादा, आपका भी हिस्सा बढ़ेगा।

गोरखपुर महानगर के चतुर्दिक विकास के लिए महायोजना की स्वीकृत न दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य विधान सभा ने नियम-51 की सूचना की नोटिस....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दिनांक 15-05-06 में उल्लेख किया है किसी भी महानगर की महायोजना भविष्य की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करके नगर के सर्वांगीण विकास हेतु सुनियोजित विकास के दृष्टिकोण के समस्त भू-उपयोगों को संतुलित करते हुए भावी विकास को निर्धारित करता है। गोरखपुर की नई महायोजना माह जुलाई, 2004 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को भेजी गई थी, जिसे वर्तमान समय तक स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है, जबकि इस सम्बन्ध में की गयी समस्त आपत्तियों का निराकरण प्राधिकरण ने कर दिया है। महायोजना स्वीकृत न होने के कारण नागरिकों के मानचित्र स्वीकृत नहीं हो रहे हैं और स्वाभाविक रूप से अवैध निर्माण को प्रोत्साहन मिल रहा है। मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी उक्त सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा दिनांक 18-05-06 को वक्तव्य हेतु निर्धारित की गयी है।

2-प्रश्नगत गोरखपुर महायोजना-2021 (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिनांक 02-08-04 को शासन को प्राप्त हुई है, जिसके परीक्षण के दौरान इसमें कतिपय तकनीकी कमियां परिलक्षित हुई हैं, जिनके निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त गोरखपुर महायोजना-2021 (प्रारूप) की स्वीकृत के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।]

बांदा शहर में पेयजल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[बांदा शहर की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 139387 है। वर्तमान आंकलित जनसंख्या 157300 हो गयी है। बांदा शहर में वर्तमान में 2 इनटेक वेल, 17 नलकूपों एवं 30 कुओं से 24.50 एम0एल0डी0 जलापूर्ति हो रही है जो मानक के अनुसार वांछित 24.37 एम0एल0डी0 से अधिक है। इस तरह आवश्यकता के अनुसार पेयजल व्यवस्था है। केन नदी में पेयजल हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। केन नदी पेरीनियल नदी है, गर्मियों में केन नदी में पानी कम हो जाता है परन्तु यह सूखती नहीं है।

बांदा शहर में 593 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जिसमें से 576 हैण्डपम्प चालू हैं। 17 हैण्डपम्प खराब हैं जिन्हें रिबोर करके चालू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। बुन्देलखण्ड में जल स्तर 2 से 3 फुट घट गया है लेकिन हैण्डपम्पों में इसका असर नहीं हुआ है। 30 कुओं से बांदा शहर को जलापूर्ति की जा रही है। बांदा शहर में पाइप पेयजल व्यवस्था 1953 में प्रारम्भ की

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गयी थी। समय-समय पर नगर की पेयजल व्यवस्था हेतु पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण तथा राहत कार्य कराये गये हैं। पाइप लाइन जीर्ण नहीं हुई है। जनसंख्या बढ़ जाने के कारण पाइप लाइन की साइज में परिवर्तन करने हेतु योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है। बांदा शहर की पुनर्गठन पेयजल योजना यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

केन नदी बांदा शहर से होकर चिल्ला ग्राम में यमुना नदी में मिलती है। चिल्ला ग्राम बांदा शहर से लगभग 38 कि0मी0 पर स्थित है एवं बांदा शहर से 30 मीटर नीचा है। नीचे स्थान से ऊंचाई पर पानी की आपूर्ति इकनोमिकल एवं व्यवहारिक नहीं है। अतः चिल्ला से नई पाइप लाइन डालकर पेयजल व्यवस्था किया जाना सम्भव नही है।]

तत्कालीन मण्डी निदेशक द्वारा अनेकों कर्मचारियों को सेवा से निकाने जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[मा0 सदस्य विधान सभा श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा दिनांक 16-5-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी हैं :-

"बहुत से कर्मचारी जो पिछले 10 व 15 वर्षों से कार्य कर रहे थे और उनके विरुद्ध कोई मामला भी नहीं था उन्हें उक्त आदेश के अनुपालन में निकाल दिया गया। कर्मचारियों द्वारा 01 मई, 06 से 10 मई, 06 तक उक्त अन्याय के विरोध में विधान भवन के समक्ष धरना दिया गया और उन्हीं कर्मचारियों द्वारा 11 मई, 06 से लखनऊ में विधान भवन के सामने भूख हड़ताल पर हैं जो 16 मई तक चलेगा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें जो विगत 10-15 वर्षों से कार्य पर थे, को नौकरी में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए वापस लिया जाय। कर्मचारियों का कहना है कि जहां सरकार संविदा व तदर्थ आधार पर अन्य विभागों में नौकरी देने जा रही है तथा तमाम विभागों में दैनिक वेतन, वर्कचार्ज, मस्टररोल आदि कर्मियों को नियमित किया जा रहा है तो फिर इन लोगों की नौकरी छीन कर नई भर्ती की प्रक्रिया क्यों अपनायी जा रही है। आन्दोलनरत कर्मचारियों ने घोषणा की है कि यदि उनके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो वे आत्मदाह जैसे कठोर निर्णय ले सकते हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में राज्य भर में सैकड़ों की संख्या में मण्डी कर्मचारी जो पिछले 10-15 वर्षों से कार्य कर रहे थे और सेवा से निकाल दिये गये हैं, की मांगों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने व अनुकूल निर्णय लेने व सम्बन्धित माननीय मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।"

प्रकरण में निदेशक, मण्डी परिषद् से आख्या प्राप्त की गयी। निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार मण्डी समितियों एवं मण्डी परिषद् में बिना चयन प्रक्रिया अपनाये नियुक्तियों के प्रकरण में शासन के पत्र संख्या-466/12-5-99, दिनांक 12-2-99 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 1-4-96 से दिनांक 30-10-97 के मध्य मण्डी परिषद् एवं मण्डी समितियों में रखे गये गैर नियमित कर्मियों की सेवायें समाप्त की गयी थी। सेवा समाप्ति आदेशों के विरुद्ध कर्मियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिकायें दायर

की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ ने रिट याचिका संख्या-1346/(एस0एस0)/1999 मुकेश कुमार बनाम राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् व उसके साथ 101 रिट याचिकाओं को सिंगिल जज की बेंच ने दिनांक 11-8-2000 को निर्णय दिया गया तथा याचिका संख्या-537एस0बी0/रजनीश वार्ष्णेय व अन्य बनाम मण्डी परिषद् तथा रिट याचिका संख्या-1184/99 नीरज अवस्थी बनाम मण्डी परिषद् तथा अन्य पांच रिट याचिकाओं के बेंच की डिवीजनल बेंच ने दिनांक 5-9-2000 को निर्णय दिया। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11-8-2000 द्वारा शासनादेश दिनांक 12-2-99 निरस्त करते हुए यार्चीगण को सेवा में पूर्ववत योजित किये जाने, सेवा की निरन्तरता प्रदान किये जाने व बैंक बेजेज छोड़कर आगे वेतन दिये जाने तथा छः माह के अन्दर उनके लिए विनियमितीकरण नियमावली बनाकर उनको विनियमित किये जाने के आदेश गये थे। नीरज अवस्थी व रजनीश वार्ष्णेय के बेंच के मामले में भी डिवीजन बेंच द्वारा सिंगिल बेंच के निर्णय दिनांक 11-8-2000 को औचित्यपूर्ण बताते हुए उसी प्रकार की सुविधा प्रदान करने के आदेश दिनांक 5-9-2000 को दिये गये थे। शासन द्वारा इन दोनों आदेशों के विरुद्ध कोई अपील अथवा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर न किये जाने कि आदेश दिये गये। अतएव मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में यार्चीगण को पूर्ववत योगदान कराया गया था।

शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 11-8-2000 व दिनांक 5-9-2000 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके क्रम में मण्डी परिषद् एवं शासन द्वारा 8-8 एस0एल0पी0 मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी। शासन एवं मण्डी परिषद् द्वारा योजित विशेष अनुज्ञा याचिकायें स्वीकृत होकर उनकी अपीलों के बेंच को लीडिंग अपील (सिविल) संख्या-4092/2001 स्टेट आफ उत्तर प्रदेश पिटीशनर बनाम नीरज अवस्थी व अन्य एक साथ सुनी गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 16-12-2005 को निर्णय पारित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 16-12-2005 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11-8-2000 एवं 5-9-2000 को निरस्त करने हुए छः माह में नियमानुसार रिक्त पदों को भरे जाने कि आदेश पारित किये गये हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-12-2005 के अनुपालन हेतु मण्डी परिषद् के संचालक मण्डल की 113वीं बैठक दिनांक 31-12-2005 में लिए गये निर्णय के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रभावित परिषद् एवं मण्डी समिति अधिष्ठान के कुल 262 तथा परियोजना मद के 420 गैर नियमित कर्मियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिक्त पदों का निर्धारण करते हुए, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी, के क्रम में नियुक्ति प्रक्रिया हेतु वांछित कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद बरेली स्थित आंवला नगरपालिका में निर्मित ओवर हेड टैंक की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आंवला पेयजल योजनान्तर्गत 1000 कि0 ली0 क्षमता का एक नग ओवर हैड टैंक, एक नग नलकूप व पम्प हाउस तथा 300 मीटर राइजिंगमेन बिछाये जाने का कार्य प्रस्तावित था जिसके लिये जल निगम को रु0 80.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। टैंक की टेस्टिंग के कार्य

को छोड़कर समस्त कार्य माह जनवरी, 2006 तक पूर्ण कर लिये गये थे। ठेकेदार द्वारा टैंक को पूरा भर देने के उपरान्त कुछ स्थानों पर सीपेज पाया गया, जिसे ठीक करने हेतु ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया। ठेकेदार द्वारा सीपेज से सम्बन्धित कमियों को ठीक करने के उपरान्त टैंक को दोबारा पूरा भरा गया एवं भरने के उपरान्त टैंक से कोई लीकेज अथवा सीपेज नहीं पायी गयीं

इनलेट एवं आउटलेट पाइप की ज्वाइंट्स की चेकिंग का कार्य प्रगति पर है जिसे पूर्ण होने के उपरान्त ओवर हेड टैंक को पुनः भरकर निर्मित ओवर हेड टैंक से इस माह के अन्त तक नियमित रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। वर्तमान में निर्मित किया गया नया नलकूप चालू है और इस नलकूप से सीधे पम्पिंग करके जनता को माह जनवरी, 2006 से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। नलकूप बन्द नहीं पड़ा है।]

जनपद मेरठ में संचालित बी0एड0/इंजीनियरिंग में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 यशवन्त सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का कैवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह अवगत कराया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में संचालित बी0एड0/इंजीनियरिंग में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 न दिये जाने से छात्र/छात्राओं तथा उनके अभिभावकों के सामने आर्थिक कठिनाई की समस्या उत्पन्न हो गयी है जिससे गरीब छात्र/छात्राओं में रोष व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनुसूचित जाति की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में दि0 1-4-2003 से भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दर एवं माता-पिता की आय सीमा में वृद्धि किये जाने तथा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को पात्रता श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के कारण प्रदेश की कुल मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हो गयी है।

इस योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष से प्राविधानित धनराशि/वचनवद्ध देयता राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा उसके ऊपर व्यय होने वाली धनराशि आयोजनागत पक्ष से केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

अनुसूचित जाति की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2003-04 की कोई देयता की मांग लम्बित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2004-05 की प्रदेश की कुल वास्तविक मांग रु0 216.77 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार स्तर से वचनवद्ध देयता के रूप में रु0 58.00 करोड़ तथा केन्द्रांश के रूप में 59.377 करोड़ कुल रु0 117, 377 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी तथा रु0 99.39 करोड़ की देयता लम्बित है।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वित्तीय वर्ष 2005-06 की कुल मांग रुपये 253.87 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा वचनवद्ध देयता की धनराशि रु0 64.92 करोड़ तथा केन्द्रांश की धनराशि रु0 110.87 करोड़ भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी तथा रु0 49.07 करोड़ की देयता मांग के सापेक्ष लम्बित है। इस प्रकार प्रदेश की 148.46 करोड़ रु0 की कुल देयता वर्तमान में केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त न होने के कारण लम्बित है।

केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा मा0 प्रधान मंत्री भारत सरकार, वित्त मंत्री एवं उपाध्यक्ष योजना आयोग, भारत सरकार से अनुरोध किया गया तथा समय-समय पर व्यक्तिगत सम्पर्क कर भी केन्द्रांश प्राप्त किये जाने के प्रयास किये गये। लम्बित देयता सम्मिलित करते हुए वांछित धनराशि अनुसूचित जाति के पात्र छात्र जिनमें उच्च स्तरीय तकनीकी, व्यवसायिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल व बी0ए0 पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पाने से वंचित रह गये हैं।

मेरठ जनपद में छात्रवृत्ति/प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में की गयी शिकायत के क्रम में जिलाधिकारी, मेरठ को दशमोत्तर छात्रवृत्ति की मांग एवं संस्थाओं की वैधता आदि के सम्बन्ध में जांच कर आख्या प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

भारत सरकार से धन उपलब्धता एवं जांचोपरान्त औचित्यपूर्ण मांग के बाद छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर में किसानों को सूखा राहत का धन अभी तक उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

गाजियाबाद स्थित सिंभावली शुगर मिल द्वारा करोड़ों रुपये के राजस्व घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्राप्त सूचना के अनुसार ...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[चीनी मिल द्वारा की जा रही अनियमिमताओं की जांच हेतु संयुक्त गन्ना आयुक्त, बरेली की अध्यक्षता में जिला गन्ना अधिकारी, बरेली तथा सहायक चीनी आयुक्त, बिजनौर की एक जांच कमेटी गठित की गयी थी।

2-जांच कमेटी द्वारा जांचोपरान्त प्रस्तुत आख्या के अनुसार चीनी मिल के लिए सुरक्षित क्षेत्र में क्रय केन्द्रों पर कुछ छुट-पुट कमियां अवश्य पायी गयी हैं, जिनका निस्तारण क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता रहा है, परन्तु ऐसी कोई कमी प्रकाश में नहीं आयी है जिससे राजस्व हानि की सम्भावना बनती हो। जांच कमेटी की जांच से पूर्व चीनी मिल क्षेत्र में स्थापित क्रय केन्द्रों/गेट के कुल 123 निरीक्षण किये गये थे जिसमें 23 सामान्य अनियमिततायें और 2 गम्भीर अनियमिततायें प्रकाश में आयी थी, जिनमें लाईसेन्स निरस्त किये गये थे।

3-चीनी मिल सिम्भावली पेराई सत्र, 2005-2006 में दिनांक 10-4-2006 को पेराई कार्य समाप्त कर चुकी है तथा चीनी मिल द्वारा समस्त देय गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।]

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुणवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[श्री अरुण वीर सिंह, मा0 विधायक ने नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लिखित करते हुये सिंचाई विभाग में आशुलिपिकों की नियुक्ति हेतु आशुलेखन एवं टंकक परीक्षा जून, 2003 में ली गयी थी और मार्च, 2005 में साक्षात्कार लिया गया था, परन्तु अब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। अतः इसे शीघ्र घोषित किया जाये। मा0 विधायक ने विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के पहले मंगल के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या-51 के उत्तर के आधार पर यह कहा है कि मा0 सिंचाई मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि उक्त परीक्षा से सम्बन्धित में रिट याचिका संख्या-3134 (एस0एस0)/03 में दिनांक 4-10-2005 को निर्णय हो चुका है। अतः शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

2-उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परीक्षा के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या-3134 (एस0एस0)/2003 धीरज श्रीवास्तव बनाम उ0 प्र0 सरकार में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 28-5-2003 के फलस्वरूप प्रश्नगत परीक्षा के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही को स्थगित रखा गया। चयन समिति द्वारा चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है और परीक्षा परिणाम सील्ड कवर में प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

3-अवगत कराना है कि सूचना में संदर्भित अतारांकित प्रश्न संख्या-51 के उत्तर में यह सूचना दी गयी थी कि मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 4-10-2005 को अन्तिम निर्णय पारित कर दिया गया है, वह मुख्य स्थायी अधिवक्ता की सूचना पर आधारित थी। मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संशोधित पत्र में यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत रिट याचिका में दिनांक 4-10-2005 को मा0 न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया है और प्रश्नगत रिट याचिका मा0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार प्रश्न के उत्तर में दी गयी सूचना सही नहीं थी और उक्त त्रुटिपूर्ण सूचना हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध मा0 महाधिवक्ता महोदय से किया गया है।]

प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सोबरन सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

जनपद मिर्जापुर के ग्राम सिद्धधी धानापुर का विद्युतीकरण हेतु चयन के बाद भी विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा .....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[उपर्युक्त नोटिस के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि विकास खण्ड पहाड़ी के ग्राम सिद्धधी धानापुर में 5 वर्ष पूर्व विद्युतीकरण किया गया था। तार पोल खींचे गये थे, परन्तु विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी। तार व पोल आदि टूट गये हैं तथा ग्रामों का विद्युतीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता में रोष व आक्रोश है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम सिद्धधी धानापुर का विद्युतीकरण 31 मार्च, 2002 को किया गया था। उक्त ग्रामों को विद्युत आपूर्ति 33/11 के0 वी0 उप केन्द्र, पड़री से निकले 11 के0 वी0 पड़री पोषक से की जाती है। विद्युतीकरण के समय ग्रामों को विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ की गयी थी, परन्तु तार कटिंग के कारण इन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति भंग हो गयी। इन ग्रामों

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में कोई भी विद्युत संयोजन नहीं होने के कारण विद्युत आपूर्ति पुनः आरम्भ नहीं हुयी। वर्तमान में ग्राम-धानापुर को विद्युत आपूर्ति करने वाली लाइन में लगभग एक सर्किट कि0 मी0 तथा ग्राम सिद्धी को विद्युती आपूर्ति करने वाले 11 के0 वी0 लाइन में 2.1 सर्किट कि0 मी0 कंडक्टर की चोरी हुयी है। यह क्षेत्र विद्युत तार चोरी के लिये कुख्यात है। चोरी गये तारों की प्राथमिकी दर्ज कराकर तथा भण्डार से तार प्राप्त कर चोरी किये गये तार के स्थान पर नये तार लगाकर उपरोक्त ग्रामों को विद्युत आपूर्ति बहाल करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही दोनों ग्रामों में विशेष कैम्प लगाकर विद्युत संयोजन देने का पुनः प्रयास किया जा रहा है।]

जनपद सहारनपुर के सरसावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्म सिंह सैनी, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 विधायक द्वारा जनपद सहारनपुर में सरसावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पठेड-ननौली मार्ग, पिलखनी-पटानी-हरडाखेड़ी मार्ग, सरसावां से नकुड़, नकुड़ से वाया मल्हा मजरा रेतगढ़ तथा नकुड़ से टाब्बर की सड़कों की जीर्ण-शीर्ण दशा होने का उल्लेख करते हुये सड़कों का डामरीकरण कराये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रमुख अभियन्ता (विकास), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को आगणन गठित कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। आगणन प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।]

हरदोई के थाना अतरौली के श्री सी0 एल0 दीक्षित एडवोकेट के प्रकरण की जांच सी0वी0सी0 आई0डी0 लखनऊ सेक्टर से हटा कर अन्य सेक्टर से कराये जाने के सम्बन्ध में सुन्दर लाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

ससंदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्र-गान

श्री अध्यक्ष-

अब राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' होगा।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजे अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :
दिनांक 18 मई, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 135 विधान सभा (224)-2006-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।